




भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 5, 1999 (ज्येष्ठ 15, 1921)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 5, 1999 (JYAISTHA 15, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[संविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)
विश्व व्यापार केन्द्र, सेंटर 1,
कफ परेड, कोलाबा
मुम्बई-400005, दिनांक 22 मई 1999

बैंकिंग सं. आईबीएस 2823/23-13-089/98-99—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित का नाम निकाल दिया जावे,

“दि कर्माशियल बैंक आफ कोरिया लि.”

सिजर अहमद
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग सं. आईबीएस 2824/23-13-089/98-99—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा अधिसूचित करता है कि दि कर्माशियल बैंक आफ कोरिया लि. उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है।

सिजर अहमद
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 21 मई 1999

सं० एस० बी डी नं० 5/1999:—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समन्वयनी

बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो० करम सिंह के स्थान पर डा० जे० डी० अग्रवाल, बी० 3/83, अशोक विहार II, दिल्ली, को स्टेट बैंक आफ पटियाला के निवेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 1 जून 1999 से 31 मई, 2002 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिये नामित करता है।

जी० जी० बेद्य,
अध्यक्ष

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 31 मई 1999

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेरधारियों की जनतालीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ए. के. जी. संभारियल हाल, गैस हाउस परिसर, पालयम, तिरुवनन्तपुरम-695 034 के सभा भवन में बुधवार दिनांक 07 जुलाई 1999 को पर्याप्त 11.30 बजे (सत्रक समय) निम्नलिखित कार्य हेतु संपन्न होगी :-

“31 मार्च 1999 को समाप्त अवधि के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुल्य पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और बैंक के तुल्य पत्र एवं लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना।”

नेपा कामेश्वर
प्रबन्ध निदेशक

बैंक आफ इण्डिया सामान्य विनियम 1988

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 में प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक आफ इण्डिया का बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के अनुसार निम्नलिखित विनियमों को बनाता है—यथा

अध्याय-1

परिचय

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (i) इन विनियमों को बैंक आफ इण्डिया सामान्य विनियम 1988 कहा जायेगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि विषय या मन्वर्भ या उसके निहितार्थ से अन्यथा विपरीत न हो।

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) है।

(ख) “बैंक” से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित निगमित निकाय “बैंक आफ इण्डिया” है।

(ग) “बोर्ड” से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत गठित बोर्ड है।

(घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत बोर्ड का अध्यक्ष है।

(ङ) “समिति” से अभिप्रेत बोर्ड द्वारा गठित समिति से है।

(च) “कार्यकारी निदेशक” से अभिप्रेत पूर्णकालिक निदेशक है, जो प्रबन्ध निदेशक न हो।

(छ) “महाप्रबन्धक” से अभिप्रेत बैंक के महाप्रबन्धक से है।

(ज) “प्रबन्धन समिति” से अभिप्रेत योजना के उपबन्ध 13 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(झ) “प्रबन्ध निदेशक” से अभिप्रेत बैंक के प्रबन्ध निदेशक से है।

(ट) “रजिस्टर” से अभिप्रेत शेरधारकों का रजिस्टर, जो बैंक की एक या एक से अधिक बहियों में रखा गया हो और इसमें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 जी) के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्लैपियों एवं डिस्कट्स के रूप में रखा गया शेरधारकों का रजिस्टर भी शामिल है।

(ठ) “रजिस्ट्रार” से अभिप्रेत निम्नलिखित के लिये बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।

(i) दृश्य से संबंधित निवेशकों से आवेदनों पत्रों को प्राप्त करना।

(ii) निवेशकों से प्राप्त आवेदन पत्रों और धन-राशियों या प्रतिभूतियों के विक्रेता को भुगतान की गई धनराशि का विधिवत रिकॉर्ड रखना।

(iii) निम्नलिखित कार्यों में बैंक की सहायता करना-

(क) स्टॉक एक्सचेंज से परामर्श करके प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार निर्धारित करना।

(ख) प्रतिभूतियों के आबंटन के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची को अन्तिम रूप देना।

(ग) इप्यू से सम्बंधित आबंटन पत्रों, धन वापसी आवेशों या प्रमाणपत्रों और अन्य सम्बंधित दस्तावेजों को तैयार करना और भेजना।

(iv) बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्य।

(1) "योजना" से अभिप्रेत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन और विविध प्रावधान) योजना 1970 से है।

(क) "शेयर" से अभिप्रेत बैंक के शेयर पूंजी में शेयर से है।

(द) "शेयर अस्तरण एजेंट" में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) कोई व्यक्ति जो बैंक की ओर से बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के धारकों का रिकार्ड रखता हो और इसकी प्रतिभूतियों के अन्तर्ण और मोशन से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है, या

(ii) उप-बन्ध (i) उल्लिखित गतिविधियों को निष्पादित करने वाला बैंक का कोई विभाग या प्रभाग (चाहे इसे जिस भी नाम से जाना जाए)

(ग) अध्याय (iii) में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित किया गया है, उनमें उपर्युक्त अधिनियम में दर्शाये गये सम्बन्ध अर्थ का समावेश होगा।

(त) प्रयुक्त होने वाली अन्य अभिव्यक्तियों और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम या योजना प्रयुक्त किया गया है, उनमें अधिनियम या योजना निर्धारित सम्बन्ध अर्थों का समावेश होगा।

अध्याय—II

शेयर और शेयर रजिस्टर

3. शेयर का स्वरूप

बैंक के शेयर, इन विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप चल संपत्ति एन अन्तरणीय होंगे।

4. शेयर पूंजी के प्रकार

(i) अधिमानी शेयर पूंजी से आशय बैंक की शेयर पूंजी के एक भाग से है जो कि निम्न धोनों शर्तों को पूरा करती हो—

(क) जहां तक लाभांश का प्रश्न है, इसमें निर्धारित दर से गिने गये या निर्धारित राशि का भुगतान करने के अधिमानी अधिकार होते हैं जो कि या तो आयकर से मुक्त हो सकते हैं या उसके अन्वय-धीन हो सकते हैं।

(ख) जहां तक पूंजी का प्रश्न है, परिसमापन या पूंजी का पुनर्भुगतान करना होता है या होगा, को चुकता पूंजी का चुकता मानी गई पूंजी की राशि से अधिमानी अधिकार का पुनर्भुगतान होना चाहिए चाहे भुगतान का अधिमानी अधिकार निम्नलिखित धनराशि में से हो या न हो इसमें से एक हो या दोनों हो यथा—

क. उपबन्ध (क) में उल्लिखित राशि से सम्बंधित परिसमापन की तारीख या पूंजी पुनर्भुगतान की तारीख तक बढ़ाया शेष कोई भी राशि और

ख. केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई भी निश्चित प्रीमियम या किसी निश्चित दर से प्रीमियम।

(ii) "इक्विटी शेयर पूंजी" का अन्विप्राय सभी शेयर पूंजी से है जो कि अधिमान्य शेयर पूंजी नहीं है।

(iii) "अधिमान्य शेयर" और "इक्विटी शेयर" अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनु रूप लिया जाए।

5. रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण

(i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (एफ) के अनुरूप शेयर रजिस्टर बनाकर उसका रखरखाव किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा।

(ii) अधिनियम की धारा 3 उपधारा 2 (एफ) में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य विवरणों को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(iii) किसी शेयर की संयुक्त धारिता के मामले में; उप विनियम (i) के अनुरूप उनके नामों और विवरणों को इस प्रकार की संयुक्त धारिता को पहले नाम के तहत सामूहिक रूप में लिखा जाएगा।

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (डी) के प्रावधानों के अनुरूप, भारत से बाहर रहने वाले शेयर-धारक, भारत में अपने पते की सूचना बैंक को दे सकते हैं और ऐसे पते को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और अधिनियमों और इसके विनियमों के लिए इस पते को उसका पंजीकृत पता समझा जाना चाहिए।

(v) किसी विश्वास अभिव्यक्ति, अंतर्निहित या परि-लक्षित के नोटिस को बैंक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाए अथवा बैंक द्वारा प्राप्त न माना जाए ।

6. शेरों और रजिस्ट्रों पर नियंत्रण

अधिनियम और इसके विनियमों के प्रावधानों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर रखा जायेगा और वहीं उसका रखरखाव किया जाएगा और इसे बोर्ड नियंत्रण में रखा जाएगा और शेर की धारिता के रूप में पंजीकृत की पात्रता से संबंधित बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

7. वे पार्टियों जो शेरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकतीं

(i) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित न हो, वे सभी व्यक्ति जो संविदा करने के पात्र न हों, शेरधारक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र नहीं हैं और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय निष्कर्षात्मक और अंतिम होगा ।

(ii) फर्म के मामले में, शेर वैयक्तिक भागीदार के नाम से दर्ज होने चाहिए और इसलिए किसी भी फर्म की शेरधारक के रूप में दर्ज होने की पात्रता नहीं है ।

8. कम्प्यूटर पद्धति आदि में शेर-रजिस्टर का रख-रखाव

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (एफ) के अंतर्गत रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण जिन्हें विनियम 5 में उल्लिखित के साथ पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 (जी) के अनुसार प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटर चुंबकीय/आप्टिकल/मिगनेटो—आप्टिकल मीडिया में डिस्कटून फ्लॉपी, कार्ट्रिज या अन्य प्रकार से (इसके बाद मीडिया कहा जाएगा) के रूप में रखे जाएं और इनका बैंक अपने ऐसे स्थानों पर जिसे, समय-समय पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा या अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा इस कार्य के लिए महाप्रबंधक स्तर के पदनामित अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किया जा सकता है (जिसे बाद में "पदनामित अधिकारी" कहा जाएगा ।)

(ii) अधिनियम की धारा 3 (बी) के अंतर्गत शेर रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले आवश्यक विवरण, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 की धारा 11 के साथ पढ़ा जाए जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में या उसमें उल्लिखित स्वरूप में रखे जाएं ।

9. कम्प्यूटर पद्धति की सुरक्षा के लिए उपाय

(i) विनियम-8(i) में उल्लिखित पद्धति, जिसमें आंकड़े संग्रहित किए गए हैं, तक पहुंच, ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें इश्यू का रजिस्ट्रार और/या शेर अंतरित करने वाले

एजेन्ट्स जैसा भी अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा और पासवर्ड द्वारा यदि कोई हो प्राधिकृत किया गया हो, तक सीमित रखी जाए और इलेक्ट्रॉनिक सिम्यूरिटी नियंत्रण सिस्टम को उपयुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में गोपनीय रखा जाए ।

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच को कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से लागू पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और इस पुस्तिका को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित अधिकारियों व्यक्तियों के पास सुरक्षित रखा जाए ।

(iii) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर शेर धारक के रजिस्टर में परिवर्तन करते हुए अंतरणीय माध्यम पर बैंक अप की प्रतियां ली जाएं, इनमें से कम से कम एक प्रति उस परिसर के सिवाय अन्य जगह रखी जाए जहां पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है । यह प्रति आग से सुरक्षित वातावरण में ताले की व्यवस्था में और उपयुक्त तापमान के तहत रखी जाए । इन दोनों जगहों पर पहुंच, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पदनामित अधिकारी द्वारा नामित कृषिकारी तक ही सीमित रखा जाए । प्राधिकृत व्यक्ति जगह पर रखे जाए मैन्युअल रजिस्टर में अपनी पहुंच दर्ज करें ।

(iv) प्राधिकृत व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह बैंक अप के आंकड़ों का मिलान आंकड़ों की सत्यता के लिए उपयुक्त साफ्टवेयर का उपयोग करके कम्प्यूटर सिस्टम के आंकड़ों से करें । इस परिचालन के परिणाम को इस उद्देश्य के लिए रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाए ।

(v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए शेर/या स्थितियों की आवश्यकताओं के कारण या अन्य किसी कारणों से कम्प्यूटर सिस्टम में शेरधारकों के रजिस्टर को रखे जाने की गोपनीयता का अनुपालन करने की दृष्टि से विशिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को संशोधित करें या उनमें और अनुदेश शामिल करें ।

10. संयुक्त धारक के अधिकारों का उपयोग

यदि कोई शेर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तब रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम है उस व्यक्ति को शेर के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस भेजे जाने या बैंक से संबद्ध अन्य मामलों में उसका एकल धारक समझा जाएगा ।

11. रजिस्टर का निरीक्षण

(i) जहां रजिस्टर रखा जाना है वहां विनियम 12 के तहत उसे बंद किए जाने के मामले को छोड़कर अन्य स्थिति में कारोबार के घंटों के दौरान किसी भी शेर-

धारक द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु खुला रहेगा। परन्तु बोर्ड उचित प्रतिबंध लगा सकता है। फिर भी, प्रत्येक कार्यदिवस में कम से कम दो घंटे तक के समय हेतु निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

(ii) कोई भी शेयरधारक चाहे तो रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्टि का सारांश निःशुल्क ले सकता है या कम्प्यूटर प्रिंट ले सकता है या यदि वह उसकी प्रति चाहे या रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग चाहे तो आवश्यक प्रति हेतु प्रत्येक 100 शब्द या उसके भाग के लिए रु० 5 की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर उन्हें यह दिया जाएगा।

(iii) ऊपर विनियम (ii) में जो कुछ कहा गया है उससे असम्बद्ध रहते हुए सरकार को किसी भी विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि की प्रति ले या रजिस्टर की प्रति या उसका कोई भाग उसे प्रस्तुत किया जाए।

12. रजिस्टर बंद करना

बैंक जब अपनी राय में यह आवश्यक समझे तब कम से कम 7 दिनों पूर्व सूचना देने के बाद भारत में प्रसारित न्यूनतम 2 अक्षरों में विज्ञापन देने के बाद शेयरधारकों का रजिस्टर प्रतिवर्ष कुल 45 दिनों परन्तु किसी एक समय अधिकतम 30 दिनों तक की अवधि या अवधियों के लिए बंद कर सकता है।

13. शेयर प्रमाणपत्र

(i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर शेयर प्रमाणपत्र संख्या, विशिष्ट संख्या, जितने शेयरों हेतु प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह संख्या तथा जिसे यह जारी किया जाता है उस शेयरधारक का नाम, बोर्ड द्वारा निर्धारित रूप में होंगे।

(ii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र बोर्ड के संकल्प के अनुसरण में सामान्य सील के तहत जारी किया जाएगा और उस पर दो निदेशकों तथा बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन में नियुक्त अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

परन्तु निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित अंकित, लिथोग्राफित होंगे या उसकी छाप होगी या बोर्ड द्वारा इस दृष्टि से दिए गए निदेशानुसार अन्य यांत्रिक प्रक्रिया से अंकित किए हुए हो सकते हैं।

(iii) इस प्रकार मुद्रित, अंकित, लिथोग्राफित या अन्य ढंग से अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि हस्ताक्षरी ने उचित ढंग में अपने हस्ताक्षर किए हों।

(iv) कोई भी शेयर प्रमाणपत्र तब तक वैध नहीं होंगे जब तक उस पर इस प्रकार से हस्ताक्षर न किए गए हों। इस प्रकार हस्ताक्षरित, शेयर प्रमाणपत्र वैध

होंगे और उसी प्रकार इस बात से आसंबद्ध रहते हुए बाध्यकारी होंगे कि उनका जारी किए जाने से पहले कोई भी व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर उन पर हों वह बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति नहीं रहता है।

(v) इस प्रकार किए गए प्रमाणपत्र जिन पर उपबन्ध (ii) में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर हों और प्रमाणपत्र जारी किए जाने समय उसकी मृत्यु हो जाए तब बैंक जो उसे सर्वाधिक उचित प्रतीत हो ऐसी किसी पद्धति में प्रमाणपत्र पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर को रद्द कर देगा और अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर उस पर चिपका देगा। इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र वैध होंगे।

14. शेयर प्रमाणपत्र जारी करना

(i) किसी शेयरधारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करने समय बोर्ड के लिए वह उपयुक्त होगा कि वह शेयर धारक के नाम से किसी एक अक्षर पर वर्ज प्रत्येक 100 शेयर अथवा इनके गुणकों के लिए प्रमाणपत्र जारी करे तथा इससे अधिक शेयरों की संख्या लेकिन जो सी में कम हो के लिए एक अतिरिक्त शेयर प्रमाणपत्र जारी करे।

(ii) यदि वर्ज किए जाने वाले शेयरों की संख्या 100 से कम है तो सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

(iii) यदि कई व्यक्तियों द्वारा एक अथवा अधिक शेयर संयुक्त रूप से रखे गए हैं तो बैंक एक में अधिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर के लिए एक प्रमाणपत्र की डिलीवरी संयुक्त शेयरधारकों में से किसी एक को पर्याप्त होगी।

15. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीकरण

(i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र कट-फट गया हो अथवा चुराब हो गया है तो बोर्ड अथवा बोर्ड के द्वारा गठित समिति इस प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर इसे रद्द करने का आदेश दे सकती है तथा इसकी एवज में नया प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

(ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र खो गया हो अथवा नष्ट हो गया हो तो बोर्ड अथवा इसके द्वारा गठित समिति ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए जमानत सहित अथवा जमानत के बिना जैसा बोर्ड या समिति उचित समझे तथा दो समाचारपत्रों में उक्त सूचना के प्रकाशन एवं बैंक को लागत प्रभार एवं व्ययों के भुगतान पर खो गए अथवा नष्ट हो गए प्रमाणपत्रों की एवज में प्राप्त व्यक्ति को डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

16. शेरों का समेकन एवं उप विभाजन

शेयरधारक/शेयरधारकों के लिखित आवेदन पर बोर्ड/अथवा उसके द्वारा गठित समिति उसे समेकन/उप विभाजन के लिए प्रस्तुत शेरों को यथास्थिति समेकित अथवा उप विभाजित कर सकती है तथा इनकी एज में नए प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, इसके लिए बैंक को इसकी लागत, प्रभार तथा व्ययों का भुगतान करना होगा।

17. शेरों का अंतरण

(i) बैंक के शेरों का प्रत्येक अंतरण एक लिखित—संलग्न फार्म "ए" अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित ऐसे अन्य प्रारूप/फार्म के द्वारा होगा तथा यह संबद्ध शेयर प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा अथवा की ओर से निष्पादित किया जाएगा जो कि विधिवत स्टांपयुक्त एवं विनांकित होगा।

(ii) अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा अंतरणकर्ता को तब तक ऐसे शेरों का धारक माना जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम शेयर में दर्ज न कर दिया जाए।

(iii) बैंक को अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र अंतरण दर्ज करने के अनुरोध सहित प्राप्त होने पर बोर्ड अथवा बोर्ड के द्वारा गठित समिति उक्त अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा/अथवा शेयर अंतरण एजेंट को इस आशय के संस्थापन के उद्देश्य में भेजेंगे कि तकनीकी अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन किया गया है। रजिस्ट्रार तथा/अथवा शेयर एजेंट अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र यदि हो, तो पुनः प्रस्तुत करने के लिए अंतरिती को लौटा देगा, बशर्तें :

(क) अंतरण लिखत बैंक को विधिवत स्टांपयुक्त तथा यथोचित रूप से निष्पादित कर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत की गई हो तथा इसके साथ शेयर प्रमाणपत्र जिससे कि यह संबंधित है संलग्न किया गया हो एवं बोर्ड द्वारा मांगे जा सकने वाले ऐसे अंतरणकर्ता के अधिकार को दर्शाने वाले अन्य प्रमाण जिससे अंतरण किया जा सके, विलेख प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) रजिस्ट्रार इस आशय से संतुष्ट हो कि अंतरिती व्यक्ति लिखत में अंकित शेरों के लिए बैंक का शेयरधारक के योग्य है।

() बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा यदि उक्त अंतरण को तदनंतर विनियम संख्या 19 के तहत रजिस्टर करने से मना न करने की दशा में अंतरण को रजिस्टर किया जाना चाहिए।

18. अंतरण आस्थगित (सस्पेंड) करने का अधिकार

बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति रजिस्टर बंद रहने की किसी अवधि के दौरान अंतरण दर्ज नहीं करेगी।

19. बोर्ड का शेयरों के अंतरण को दर्ज करने से मना करने का अधिकार

(i) बोर्ड निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक कारणों से न कि किसी अन्य कारण से अंतरिती के नाम से किसी शेयर को अंतरित करने से मना कर सकता है।

(क) शेयरों का अंतरण अधिनियम अथवा विनियमों के तहत अथवा किसी अन्य नियम के विरुद्ध हो अथवा इस प्रकार के अंतरणों को दर्ज करने संबंधी नियम की किसी शर्त का अनुपालन न किया गया हो।

(ख) बोर्ड की राय में शेयरों का अंतरण बैंक के हितों अथवा जनहित के विरुद्ध हो।

(ग) शेयर के अंतरण पर न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी नियम के तहत प्रभावी आदेश जिस पर अभी रोक लगी हो।

(घ) भारत से बाहर स्थित कोई कंपनी या व्यक्ति अथवा ऐसे नियम जो भारत में लागू नहीं हैं के तहत संस्थापित कोई कंपनी अथवा ऐसी कंपनी की कोई शाखा भले ही वह भारत से बाहर स्थित हो या नहीं अंतरण की अनुमति मिलने पर बैंक के शेयर प्राप्त या अर्जिन कर सकेगी तथा इस प्रकार का कुल निवेश प्रदत्त पूजी के 20 प्रतिशत से अधिक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना जारी कर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा।

तथापि, उपरोक्त उप विनियम (i) (सी) के तहत मना करने संबंधी उल्लिखित अधिकारों का उपयोग बोर्ड द्वारा गठित समिति कर सकेगी।

(ii) बोर्ड बैंक के शेयर अंतरण संबंधी लिखत अंतरण दर्ज करने हेतु उसे प्रस्तुत किए जाने पर अपनी राय देगा कि इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन उप विनियम (i) के तहत किसी कारण से मना किया जा सकता है अथवा नहीं।

(क) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि ऐसा रजिस्ट्रेशन मना नहीं किया जाए, रजिस्ट्रेशन दर्ज कर दिया जाए तथा

(ख) यदि इसके द्वारा यह राय व्यक्त की गई हो कि ऐसा रजिस्ट्रेशन उल्लिखित उप नियम (i) के तहत किसी कारण से मना किया जाए तो अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को अंतरण फार्म प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों में लिखित रूप में नोटिस दिया जाए।

20. मृत्यु, दिवालियापन आदि की स्थिति में शेयरों का प्रेषण

(i) किसी शेयर के मृतक शेयरधारक के निष्पादकों अथवा प्रशासकों अथवा इच्छा पत्र (प्रोबेट) धारक अथवा यसीयतनामे के साथ या इसके बिना प्रशासन पत्रों अथवा

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 4 के तहत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा किसी कानूनी प्रतिवेदन के धारक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पक्ष में मृतक द्वारा अपने जीवितकाल में अंतरित वैध प्रलेख निर्धारित किया गया, को ही बैंक द्वारा ऐसे शेयर का हक अधिकार होने की मान्यता दी जाएगी।

(ii) दो अथवा अधिक शेयर धारकों के नाम से रजिस्टर्ड शेयरों के मामले में, एक अथवा अधिक उत्तरजीवी तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के बाद उसके निष्पाक अथवा प्रशासक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास दृच्छा (प्रोबेट) पत्र अथवा बर्मीयन सहित अथवा इसके बिना प्रशासनिक पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा शेयर के लिए उत्तरजीवियों के संवर्ध में कोई अन्य कानूनी प्रतिवेदन अथवा वह व्यक्ति जिसके पक्ष में शेयर अंतरण संबंधी बैंक प्रलेख ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पाकित किया गया हो तो तथा मृतक व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान रहे ऐसे उत्तरजीवी व्यक्ति को हो, बैंक द्वारा ऐसे शेयर का हक अधिकार होने की मान्यता दी जाएगी।

(iii) बैंक ऐसे निष्पादकों अथवा प्रशासकों को तब तक मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय से यथास्थिति प्रोबेट अथवा प्रशासनीय पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लें।

तथापि यदि बोर्ड किसी मामले में अपने विवेक के अनुरूप उचित समझे तो बोर्ड प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा कोई अन्य कानूनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है, इसके लिए क्षतिपूर्ति अथवा अन्वयता जो बोर्ड उचित समझे लगा सकता है।

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति जो शेयरधारक की मृत्यु के बाद शेयर के लिए पात्र हुआ हो तथा ऐसे किसी व्यक्ति, जो शेयरधारक के विवाहोपपन्न धनगोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के फलस्वरूप शेयर के लिए पात्र हुआ हो को बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) ऐसे शेयर के लिए शेयर धारक के रूप में रजिस्टर करना।

(ख) इस प्रकार के शेयर जिससे कि अधिकार प्राप्त किया गया है, अंतरित करना।

21. शेयरधारक रजिस्ट्रेशन के लिए अबोध होना

व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य/अन्यके माध्यम से संयुक्त रूप में रजिस्टर्ड शेयरधारक का यह दायित्व होगा कि किसी शेयर के संबंध में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्यता की सूचना बोर्ड को दे दी जाए।

22. शेयरों के संवर्ध में धनराशि की मांग

बोर्ड समय-समय पर शेयरधारकों से उनके पास पड़े शेयरों की बकाया राशि की, जब भी उपयुक्त समझे मांग कर सकता

है तथा प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक मांग की राशि का बोर्ड द्वारा नियत व्यक्ति तथा नियत स्थान पर भुगतान करेगा। मांग राशि का किस्तों में भुगतान हो सकता है।

23. संकल्प--दिनांक में राशि की मांग

धनराशि के लिए मांग उस समय से मानी जाएगी जब से कि बोर्ड ने इस प्रकार की मांग के लिए अधिकृत करने का संकल्प पारित किया हो तथा इस दिनांक को अथवा बोर्ड के विवेकानुसार नियत किसी आगामी दिनांक को वर्ज शेयरधारकों को इस राशि का भुगतान करना होगा।

24. राशि की मांग हेतु नोटिस

प्रत्येक मांग के लिए न्यूनतम 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा जिसमें भुगतान—समय का उल्लेख हो लेकिन इस प्रकार की मांग के भुगतान समय से पूर्व बोर्ड शेयरधारकों को लिखित नोटिस देने हुए इसे वापस भी ले सकेगा।

25. राशि की मांग के भुगतान के समय की अवधि बढ़ाना

बोर्ड समय-समय पर एवं अपने विवेक से सभी अथवा किसी भी शेयरधारक का उनके निवास स्थल की दूरी अथवा किसी अन्य कारण से भुगतान के लिए नियत समय की अवधि बढ़ा सकेगा। लेकिन किसी भी शेयरधारक को इस प्रकार अवधि बढ़ाए जाने हेतु पावता का कोई अधिकार नहीं होगा।

26. संयुक्त धारकों के उत्तरदायित्व

शेयर के संयुक्त धारक मांग राशि के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग उत्तरदायी होंगे।

27. नियत समय पर अथवा किस्तों द्वारा मांग राशि का भुगतान

यदि किसी शेयर निगम की शर्तों अथवा अन्य कारणों से कोई राशि किसी नियत समय पर अथवा नियत समय पर किस्तों द्वारा देय है तो ऐसी प्रत्येक राशि अथवा किस्त का भुगतान बोर्ड द्वारा विधिवत की गई मांग के रूप में की जाएगी। जिसके लिए कि उपयुक्त नोटिस दिया गया हो मांग राशि संबंधी सभी प्रावधान संबंध राशि अथवा किस्त के अनुरूप होंगे।

28. जब मांग राशि अथवा किस्त पर ब्याज देय हो

यदि किसी मांग अथवा किस्त भुगतान संबंधी राशि का भुगतान के लिए नियत दिनांक को भुगतान न किया गया हो तो विद्यमान धारक अथवा शेयर आर्बिट्रिटी (जिसके लिए कि राशि की मांग की गई है अथवा शेयर किस्त देय होगी) बोर्ड द्वारा समय समय पर नियत दर से इस राशि पर भुगतान के लिए नियत दिनांक से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, लेकिन बोर्ड को इस प्रकार के ब्याज की पूरी राशि अथवा उसके अंग में छूट का विवेकाधिकार होगा।

9. शेयरधारकों द्वारा मांग राशि का भुगतान न करना

किसी भी शेयरधारक द्वारा उसके पास व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में प्राप्त शेयर पर समस्त मांग राशि प्रभारित व्ययों एवं ब्याज राशि यदि कोई हो का पूर्णतया भुगतान न कर दिए जाने तक उसे किसी प्रकार का लाभांश देय नहीं होगा तथा न ही उस पर शेयरधारक का कोई अधिकार हो सकेगा।

30. मांग राशि अथवा किस्त भुगतान न होने पर नोटिस

यदि कोई शेयरधारक किसी शेयर की समस्त आंशिक अथवा अथवा किस्त अथवा देय कोई अन्य राशि—मूल अथवा ब्याज का भुगतान के लिए नियत दिनांक तक भुगतान नहीं कर पाता न तो बैंक तत्पश्चात् ऐसी किसी भी समय अवधि अर्थात् मांग राशि अथवा किस्त अथवा किसी आंशिक राशि का भुगतान बकाया रहने अथवा संबद्ध कोई निर्णय (जजमेंट) अथवा बिक्री पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में बकाया रहने पर ऐसे शेयरधारक अथवा हस्तांतरण के फलस्वरूप शेयर के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को मांग राशि अथवा किस्त अथवा इसका अंश अथवा अन्य राशि जो कि बकाया हो का अर्पित स्मृति तथा सभी व्यय (कानूनी अथवा अन्य) जो कि भुगतान न होने के कारण बैंक द्वारा किए गए हों, के लिए नोटिस जारी कर सकता है।

31. जब्ती (फोरफीट) का नोटिस

जब्ती के नोटिस में किसी एक दिन जो कि नोटिस की दिनांक से 14 दिन से कम नहीं होगा तथा स्थान जिस/जन पर कि इस मांग राशि अथवा किस्त अथवा आंशिक राशि अथवा अन्य राशि एवं उपरोक्त ब्याज का भुगतान किया जाना है का उल्लेख होगा। नोटिस पर इस बात का भी उल्लेख होगा कि नियत समय एवं स्थान पर भुगतान न होने की स्थिति में शेयर जिसके लिए राशि मांगी गई थी अथवा किस्त देय थी को जब्त किया जा सकेगा।

32. चूक होने पर जब्त किये जाने वाले शेयर

यदि उपरोक्तानुसार ऐसे किसी नोटिस की आवश्यकता पूरी नहीं की जाती है तो जिनके बारे में ऐसा नोटिस बिना गया हो ऐसे किसी भी शेयर को उसके बाद इस आय के बोर्ड के संकल्प के द्वारा जब्त किया जा सकता है जिससे संबंधित सभी फॉल राशियाँ किस्तों, ब्याज और व्यय या उनसे संबंधित कोई भी बकाया राशि का भुगतान न किया गया हो, ऐसी जब्ती में जब्त किये गये शेयरों से संबंधित तत्काल घोषित किये गये लाभांश का समावेश होगा परन्तु जब्ती से पहले घास्तव में अदा कर दिये गये लाभांश का समावेश नहीं होगा।

33. रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि

जब विनियम 32 के तहत किसी शेयर को जब्त किया जाता है तब इसे जब्ती की तारीख के साथ रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये।

34. जब्त किये गये शेयर बैंक की संपत्ति होंगे जिन्हें बेचा जा सकेगा।

इस प्रकार जब्त किया गया शेयर बैंक की संपत्ति समझा जायेगा और उन्हें उन शर्तों पर और उस तरीके से बेचा जा सकेगा, पुनः आबंटित किया जा सकेगा या किसी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप दिया जा सकेगा।

35. जब्ती को रद्द करना

विनियम 32 के तहत इस प्रकार जब्त किये गये शेयरों को बेच देने, पुनः आबंटित करने या किसी अन्य प्रकार से निपटाने से पूर्व बोर्ड उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत इस जब्ती को रद्द कर सकता है।

36. शेयर धारक जब्ती के समय बकाया राशि और ब्याज के भुगतान के लिये जिम्मेदार होगा।

जिनके शेयर जब्त किये हैं ऐसे कोई भी शेयरधारक चाहे जब्ती हुई हो या नहीं, बैंक की सभी काल राशि, किस्तें आय एवं व्यय जब्ती के समय ऐसे शेयर से संबंधित अन्य राशि या बकाया राशि तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर उस पर ब्याज के साथ भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा और तत्काल भुगतान करेगा और बोर्ड पूरी राशि या उसके किसी भाग के भुगतान को प्रवर्तित कर सकता है।

37. आंशिक भुगतान जब्ती को नहीं रोकेंगा।

किसी शेयर के बारे में काल राशियों या बकाया अन्य राशियों के लिये बैंक के पक्ष में निर्णय या बिक्री अथवा कोई भी भुगतान या उसके तहत की सत्पुष्टि अथवा शेयर धारक से समय समय पर बकाया राशि का मूल राशि के रूप में या ब्याज के रूप में या किसी हिस्से में भुगतान अथवा बैंक द्वारा ऐसी किसी राशि के भुगतान के बारे में दी गई छूट इस विनियम के तहत शेयरों की ऐसी जब्ती को नहीं रोकेंगा।

38. शेयरों की जब्ती से बैंक के विरुद्ध सभी दावे समाप्त हो जाते हैं।

शेयरों की जब्ती के समय शेयर से संबंधित बैंक के विरुद्ध के सभी हित तथा सभी दावों और मांगों तथा शेयर से सम्बन्ध सभी अन्य प्रासंगिक प्राधिकारों की जब्ती का समावेश हो जाता है परन्तु इन अधिकारों में ऐसे अधिकार शामिल नहीं होंगे जिन्हें स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया हो।

39. जब्त हो जाने पर बिक्री पुनः जारी करने, पुनः आबंटन या निपटान पर मूल शेयरों का अमान्य हो जाना।

पूर्ववर्ती विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत शेयरों की बिक्री पुनः आबंटन या अन्यथा निपटान होने पर सम्बन्ध शेयरों के सम्बन्ध में मूल रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्र रद्द हो जायेंगे और अमान्य बन जायेंगे और प्रभावी नहीं रहेंगे (सिवा इसके कि बैंक द्वारा मांग किये जाने पर चक्र-कर्ता सदस्य ने पहले से ही उन्हें वापिस कर दिया हो) और

बोर्ड ने इन शेयरों के सम्बन्ध में उसके लिये पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नये प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिस्त होगा।

4. जब्ती के प्रावधान लागू होंगे।

शेयर जारी करने सम्बन्धी शर्तों के द्वारा निर्धारित समय पर देय किसी भी राशि चाहे वह शेयर के मूल्य की राशि हो या प्रीमियम के रूप में अदा की जानी हो—मानो वह विधिवत किये गये काल के लिये देय हो, ऐसी राशि के भुगतान न किये जाने पर विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

4.1. शेयरों पर ग्रहणाधिकार

(i) बैंक का निम्नलिखित शेयरों पर प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा :

- (क) ऐसे प्रत्येक शेयर (जो पूर्ण प्रदत्त शेयर नहीं हैं) के सम्बन्ध में बॉल की गई या निर्धारित समय पर देय सभी राशियाँ (चाहे वर्तमान में देय हो या नहीं)।
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में बैंक को देय सभी राशियाँ या उसकी सम्पत्ति में से देय राशियों के लिये उसके नाम पर पंजीकृत सभी शेयरों के लिये (जो पूर्ण प्रदत्त शेयर नहीं हैं)।
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर (चाहे एकल रूप में या अन्य के साथ संयुक्त रूप में) सभी शेयरों के रजिस्टर्ड हो जाने पर तथा उसकी बिक्री की प्राप्ति पर बैंक के साथ उसके उधार, देयतायें और जिम्मेदारियाँ चाहे एकल रूप में या अन्य के साथ संयुक्त रूप में चाहे उसके भुगतान, पूर्णतया विमोचन का समय वास्तव में आया हो या नहीं तथा किसी भी शेयर में सम्पत्ति हित बैंक द्वारा उसके ग्रहणाधिकार से अधिक मान्य नहीं होगा। बोर्ड चाहे तो किसी भी मध्य किसी भी शेयर को पूर्णतः या अंशतः इस खण्ड के प्रावधानों से मुक्त कर सकता है।

(ii) बैंक का किसी शेयर पर कोई ग्रहणाधिकार होगा तो वह उस पर देय सभी लाभांशों पर भी लागू होगा।

4.2. शेयरों की बिक्री द्वारा ग्रहणाधिकार प्रवर्तित करना :

- (i) बैंक अपने ग्रहणाधिकार वाले किसी भी शेयर को, जिसे बोर्ड उचित समझता हो, ऐसे तरीके से बेच सकता है :
- (क) ऐसी राशि जिसके सम्बन्ध में ग्रहणाधिकार है यदि वर्तमान में देय है और
- (ख) शेयर के वर्तमान रजिस्टर्ड धारक या उसकी मृत्यु या दिवालियापन के कारण शेयरों के हकदार व्यक्ति को 14 दिन की लिखित नोटिस जिसमें राशि के उस भाग के बारे में कहा गया हो और प्रांग की गई हो, जिस पर ग्रहणाधिकार होता हो, और वर्तमान में देय हो।

(ii) ऐसे किसी विक्रय को प्रभावी करने के लिये बोर्ड उसके खरीददार को बेचे गये शेयर अनारित करने के लिये कुछ अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

4.3. शेयरों की विक्रय-प्राप्तियों का विनियोग

शेयरों के विक्रय की प्राप्ति की प्रयोज्यता विनियम-4.2 के अन्तर्गत किसी शेयर की बिक्री पर शेयर की लागत को काटने के बाद शुद्ध प्राप्ति को उसमें सम्बन्ध वर्तमान में देय राशि को ग्रहणाधिकार से संबन्धित देयता, उधार या जिम्मेदारी की सन्तुष्टि के पेटे जमा किया जायेगा और यदि कोई राशि बचती है तो उसे इस प्रकार बेचे गये शेयर के अन्तर्गत द्वारा पात्र शेयर धारक या व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।

4.4. जब्ती का प्रमाणपत्र

शेयर के बारे में कालकिया गया और बोर्ड द्वारा पारित इस आशय के संकलन द्वारा शेयर जब्त किया गया, इस प्रकार से किसी निदेशक या इस हेतु विधिवत प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण, उसमें दर्शाए गये तथ्य का ऐसे शेयरों के लिये पात्र सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अन्तिम साक्ष्य होगा।

4.5. जब शेयरों के खरीददार और आवंटितता का हक

किसी भी शेयर की बिक्री, पुनः आवंटन या अन्य निपटान पर दिया गया कोई प्रतिफल बैंक को प्राप्त होता है और जिसे वे शेयर बेचे जाते हैं, पुनः आवंटित किये जाते हैं या निपटान किया जाता है उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उसके लिये प्रतिफल यदि कोई हो, की प्रयोज्यता देयता साध्यकारी नहीं होगा, न ही उसका शेयर का हक शेयर की बिक्री, पुनः आवंटन या अन्य निपटान के संदर्भ में प्राप्ति प्राप्त होने पर कोई अनियमितता या अवैधता से प्रभावित होगा और बिक्री से जिसे हानि पहुँची है उसे व्यक्ति का उपाय केवल द्वारा ही होगा और सिर्फ बैंक के विरुद्ध ही होगा।

4.6. शेयरधारकों को नोटिस या दस्तावेज जारी करना :

- (i) बैंक किसी भी शेयर धारक को व्यक्तिगत रूप से या सामान्य डाक से उसके पंजीकृत पते पर या यदि भारत में उसका पंजीकृत पता न हो तो उसके द्वारा नोटिस देने हेतु बैंक को किये गये भारत में ही किसी पद पर नोटिस या दस्तावेज भेज सकता है।
- (ii) जब नोटिस या दस्तावेज डाक द्वारा भेजे जाते हैं तब इस प्रकार नोटिस या दस्तावेज भेजने के सम्बन्ध में यह राशिका जायेगा कि वह दस्तावेज या नोटिस दस्तावेज उचित ढंग से पता लिखकर, डाक व्यव पहले से अदा करने हुए डाक में भेजा गया है।

परन्तु जहाँ शेरधारक बैंक को पहले से ही सूचित करता है कि दस्तावेज डाक प्रमाणपत्र के साथ अथवा पंजीकृत डाक में प्राप्त सूचना के साथ या बिना प्राप्त सूचना के भेजी जाये और ऐसा करने सम्बन्धी पर्याप्त व्यय बैंक में जमा करा देता है, तब वह नोटिस या दस्तावेज तब तक प्रभावी ढंग से भेजा गया नहीं माना जायेगा जब तक कि वह शेरधारक द्वारा दर्शाए गए तरीके से न भेजा जाये, इस प्रकार नोटिस भेजना बैंक की सूचना भेजने के मामले में वह पत्र डाक में प्रेषित करने से 48 घंटे सम्पन्न होने के बाद तथा अन्य मामलों में उस समय से प्रभावी हुआ समझा जायेगा जिस पर सामान्य डाक से पत्र प्राप्त हो जाता।

- (iii) जब नोटिस या दस्तावेज भारत में व्यापक रूप से प्रसारित किसी अखबार में विज्ञापित किया जाता है तब वह विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन बैंक के उन सभी शेरधारकों को लिखित भेजा गया समझा जायेगा जिसका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिन्होंने बैंक को नोटिस भेजे जाने हेतु भारत में कोई पता उपलब्ध नहीं कराया है।
- (iv) किसी शेर के संयुक्त धारकों के मामले में बैंक द्वारा कोई नोटिस या दस्तावेज शेर से संबंधित पंजीकृत प्रथम नाम वाले संयुक्त धारक को प्रभावी ढंग से भेजा जाता है तब इस प्रकार दिया गया नोटिस उपरोक्त शेर धारकों के लिये पर्याप्त नोटिस होगा।
- (v) शेर के किन्हीं पात्र व्यक्तियों को उनकी मृत्यु हो जाने पर या शेरधारक के विवालिधा हो जाने पर उनके नाम पर या मृतक अथवा विवालिधा के समनुवेशिती के नाम पर या इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार की पात्रता का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन से उपलब्ध कराये गये पत्र पर बैंक द्वारा नोटिस या दस्तावेज भेजे जायें या जब तक ऐसा पता उपलब्ध नहीं कराया जाता है उसी प्रकार नोटिस या दस्तावेज भेजे जायें जिस प्रकार मृत्यु या विवालिधपन की घटना घटित ही न हुई हो।
- (vi) बैंक द्वारा दिये जाने वाले किसी भी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित हो सकते हैं।

अध्याय—III

डिपोजिटरी में रखी गई बैंक की प्रतिभूतियां

47. बैंक एवं डिपोजिटरी के बीच अनुबंध

बैंक अपने द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में किसी एक या अधिक डिपोजिटरी की सेवायें लेने हेतु उनसे अनुबंध कर सकता है।

48. डिपोजिटरी एवं सहभागी के बीच अनुबंध

(i) कोई भी सहभागी डिपोजिटरी का एजेंट बनने हेतु उससे अनुबंध कर सकता है, जिस डिपोजिटरी से अनुबंध किया जाता है वह वही डिपोजिटरी होगा जिसके साथ बैंक ने विनियम 47 के तहत सेवाएं लेने का अनुबंध किया है।

(ii) बैंक का कोई भी शेरधारक बैंक द्वारा जारी की गई प्रतिभूति के सम्बन्ध में सहभागी के माध्यम से किसी डिपोजिटरी की सेवायें प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित फार्म में उनसे अनुबंध कर सकता है।

49. प्रतिभूति के प्रमाण पत्र वापिस करना

(i) बैंक के कोई भी शेरधारक या प्रतिभूति धारक जिसने उक्त विनियम 48 के तहत अनुबंध किया है वह जिन प्रतिभूति प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में बैंक के डिपोजिटरी की सेवायें प्राप्त करना चाहता है, उन प्रतिभूति प्रमाणपत्रों को वापिस कर देगा।

(ii) बैंक उपरोक्त उप-विनियम (i) के अंतर्गत प्रतिभूति के प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उन्हें रद्द कर देगा और प्रतिभूति के सम्बन्ध में डिपोजिटरी का नाम अपने रिकार्ड में पंजीकृत स्वामी के रूप में लिख देगा तथा डिपोजिटरी को तदनु रूप अवगत कराएगा।

(iii) डिपोजिटरी उपरोक्त उप-विनियम (ii) के तहत सूचना प्राप्त होने पर ऊपर उप-विनियम (i) में दर्शाये गये व्यक्ति का नाम लाभार्थी स्वामी के रूप में अपने रिकार्ड में दर्ज करेगा।

50. प्रतिभूति के अंतरण का डिपोजिटरी के पास पंजीकरण

प्रत्येक डिपोजिटरी बैंक की ओर से अंतरण होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर प्रतिभूतियों का अंतरिती के नाम पर अंतरण दर्ज करेगा।

51. प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या डिपोजिटरी के पास प्रतिभूति को रखने का विकल्प

(i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा प्रतिभूति को डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(ii) जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति डिपोजिटरी के पास रखने का विकल्प चुनता है तब बैंक उस डिपोजिटरी को प्रतिभूति के आबंटन का ब्यौरा सूचित करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर डिपोजिटरी आबंटिती का नाम प्रतिभूति के लाभार्थी स्वामी के रूप में अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा।

52. डिपोजिटरी में रखी गई प्रतिभूतियां समरूप हों

डिपोजिटरी द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियां जिमेटी-रिलाइज रूप में होंगी तथा समरूप में होंगी।

53. लाभार्थी स्वामी के अधिकार

लाभार्थी स्वामी डिपोजिटरी के पास रखी गई अपनी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में सभी अधिकारों और लाभों का पात्र होगा और सभी वेयताओं के लिये जिम्मेदार होगा।

54. लाभार्थी स्वामी का रजिस्ट्रार

(i) प्रत्येक डिपोजिटरी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह डिपोजिटरी द्वारा रखी गई बैंक की प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 या 'सेबी' द्वारा निर्धारित ढंग से रजिस्ट्रार रखे और लाभार्थी—स्वामियों को क्रमानुसार दर्ज करे।

(ii) डिपोजिटरी, बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्तरालों पर अपने पास रखे लाभार्थी—स्वामियों के रजिस्ट्रार एवं अनुसूची की अद्यतन प्रति बैंक को भेजेगी।

55. किसी भी प्रतिभूति के संबंध में अलग होने का विकल्प

(i) यदि किसी भी प्रतिभूति के संबंध में लाभधारक स्वामी डिपोजिटरी से अलग होना चाहता है तो उसे तदनुसार डिपोजिटरी को सूचित करना होगा।

(ii) डिपोजिटरी को उपरोक्त उपविनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर वह अपने रिकार्ड में समुचित प्रवृष्टियों करेगा एवं बैंक को सूचित करेगा।

(iii) बैंक डिपोजिटरी से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर 30 दिनों (तीस) के भीतर और इस प्रकार की शर्तों के पूरा होने पर तथा ऐसे शुल्क का भुगतान किए जाने पर जैसा कि सेबी डिपोजिटरीज एवं पार्टिसिपेंट्स विनियम 1996 और/अथवा डिपोजिटरी अधिनियम 1996 में विनिर्दिष्ट किया गया हो, लाभधारक स्वामी अथवा अंतरिती को जैसा भी मामला हो, को प्रतिभूति का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

अध्याय-4

शेयरधारकों की बैठकें

56. वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की सूचना

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक सामान्य सभा बुलाने की नोटिस भारत में विस्तृत प्रसार वाले कम से कम दो समाचारपत्रों में 21 पूर्ण दिवसों पहले प्रकाशित की जायेगी।

(ii) इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में इस प्रकार के बैठक के स्थान, समय एवं तारीख का तथा इस प्रकार की बैठक में किए जाने वाले कारोबार का उल्लेख किया जाएगा।

(iii) इस प्रकार की बैठक का समय एवं तारीख निदेशक मण्डल द्वारा तय किये गये अनुसार होगी। बैठक बैंक के प्रधान कार्यालय के स्थान पर होगी।

57. असाधारण सामान्य सभा :

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति

में बैंक के कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के निदेशकों में से कोई निदेशक, यदि निदेशक मंडल ऐसा निर्देशित करे अथवा ऐसी बैठक बुलाने की मांग केन्द्रीय सरकार अथवा बैंक के शेयर धारकों में यदि अन्य कोई शेयर धारक से जिसके पास शेयर धारकों के वोट देने के कुल अधिकार का 10 प्रतिशत भाग से कम न हों, के मांग करने पर, शेयरधारकों की असाधारण सामान्य सभा बुला सकता है।

(ii) उपविनियम (i) में उल्लिखित मांग में असाधारण सामान्य सभा की बैठक बुलाये जाने के उद्देश्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। किन्तु इसमें कोई दस्तावेजों का समावेश होने पर प्रत्येक पर एक या उससे अधिक मांग करने वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(iii) ऐसे मामलों में जहाँ दो या अधिक व्यक्ति किसी शेयर के संयुक्त स्वामी हों वहाँ इस प्रकार की मांग पर अथवा नोटिस जिसके द्वारा बैठक की मांग की गयी है उस पर यदि एक के अथवा कुछके हस्ताक्षर हों तो भी इस विनियम के लिए उसका वही प्रभाव होगा जैसे उस पर सभी ने हस्ताक्षर किये हों।

(iv) असाधारण सामान्य सभा का समय, स्थान एवं तारीख का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा। वशर्तें, असाधारण सामान्य सभा केन्द्रीय सरकार की मांग पर अथवा शेयर धारकों की मांग पर बैठक बुलाने की मांग प्राप्त होने के 45 दिनों से अनधिक पर बुलायी गयी हो।

(v) यदि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, जैसा भी मामला हो, उपविनियम (i) में वांछित बैठक उपविनियम (iv) में उल्लिखित प्रावधानों में निर्धारित समय में बैठक नहीं बुलाते हैं तब बैठक की मांग करने वालों द्वारा बैठक की मांग किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर बैठक बुलायी जा सकती।

वशर्तें, इस उपविनियम में ऊपर उल्लिखित 3 महीने की अवधि के समाप्त होने के पहले बुलायी गयी बैठक तथा उस अवधि की समाप्ति के बाद कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के विरुद्ध रोका न माना जाये।

(vi) मांग करने वालों के द्वारा उपविनियम (v) के अंतर्गत बुलायी गयी बैठक को उसी ढंग से बुलाया जाएगा जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अन्य सामान्य सभाओं के मामले में किया जाता है।

58. सामान्य सभा की गण पूर्ति कोरम

(i) शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक कोई भी कारोबार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस प्रकार की बैठक में इस प्रकार का कारोबार प्रारंभ करने से पहले वोट देने का अधिकार रखने वाले कम से कम पांच शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हों।

(ii) बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद न होने पर यदि बैठक केन्द्र सरकार की मांग के अलावा शेयर धारकों की मांग पर बुलायी गयी हो तो बैठक समाप्त हो जायेगी।

(iii) दूसरे अन्य मामलों में बैठक के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे के भीतर यदि कोरम मौजूद न हो तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान के लिए अथवा उसी प्रकार के किसी अन्य दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निर्धारित करे, स्थगित हो जायेगी। यदि स्थगित बैठक के लिए निर्धारित समय, स्थान एवं तारीख पर आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं होता है तब वे शेर धारक जो स्वयं उपस्थित हों अथवा परोक्षी के रूप में उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित हों वे कोरम माने जायेंगे और वह कारोबार कर सकेंगे जिनके लिए बैठक बुलाई गयी हो।

परन्तु अधिनियम की धारा 10ए (i) की शर्तों के अनुरूप वार्षिक सामान्य सभा के लिए निर्धारित तारीख से बाद की किसी तारीख के लिए कोई भी वार्षिक सामान्य सभा स्थगित नहीं की जायेगी किन्तु यदि बैठक को आगामो सप्ताह को स्थगित करने का प्रभाव यह हो तो वार्षिक सामान्य सभा स्थगित नहीं की जायेगी बल्कि बैठक की कार्यवाही निर्धारित समय से 1 घंटे के भीतर, यदि कोरम मौजूद है, शुरू होगी अथवा एक घंटे के समाप्त होने के तत्काल बाद प्रारम्भ होगी और वे शेर धारक जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद हों अथवा उनके परोक्षी उपस्थित हों अथवा उनके विधिवत प्रतिनिधि उपस्थित हों वे इस बैठक के कोरम माने जायेंगे।

59. सामान्य सभा के अध्यक्ष

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में ऐसे कोई निदेशक जिन्हें सामान्यतः अथवा किसी विशेष बैठक के सम्बन्ध में अध्यापक एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस मामले में कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो बैठक के अध्यक्ष होंगे। यदि अध्यापक एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा इन सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं हो तो बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को सभा, बैठक का अध्यक्ष चुन सकती है।

(ii) सामान्य सभा के अध्यक्ष सामान्य सभा को कार्यवाही को विनियमित करेंगे विशेष रूप से उनको यह अधिकार होगा कि वे यह तय करें कि शेर धारक सभा को किस क्रम में संबोधित करेंगे उनके भाषण की अवधि भी तय करेंगे तथा यदि वे यह समझे कि किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हुई चुकी है तो वे बैठक को समाप्त घोषित कर सकेंगे।

60. सामान्य सभा में भाग लेने के लिए पात्र व्यक्ति

(i) उपविनियम (ii) के प्रावधानों के अनुसार सभी निदेशक एवं शेरधारक सामान्य सभा में भाग लेने के पात्र होंगे।

(ii) कोई शेर धारक केन्द्र सरकार नहीं अथवा निदेशक जो सामान्य सभा में भाग ले रहा हो उसे पहचान एवं उसके वोट देने के अधिकारों का विनिर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ अध्यक्ष द्वारा निर्धारित फार्म में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।

क. उसका पूरा नाम व पंजीकृत डाक पता।

ख. उनके शेयरों की विशिष्ट संख्या।

ग. क्या उन्हें वोट देने का अधिकार है। यह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी के माध्यम से अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कितने वोट देने के लिए पात्र है।

61. सामान्य सभा में मतदान

(i) किसी भी सामान्य सभा में कोई भी संकल्प जिसे सभा के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है; जब तक मतदान की मांग न की गई हो उसका निर्णय हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर तय माना जायेगा।

(ii) अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अलावा सामान्य सभा के प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जायेगा।

(iii) जब तक कि उपविनियम (i) के अन्तर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किया गया/नहीं किया गया या तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आणय की एक प्रविष्टि उन वृत्तियों में जिनमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या/अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।

(iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा परिणाम घोषित करने पर सभा का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शेरधारक अथवा शेर धारकों द्वारा जो सभा में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेर धारिता है, जिसके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पाँचवे भाग से कम नहीं, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश प्राप्त करेगा।

(v) मतदान की मांग को मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा नकेगा।

(vi) स्थगन अथवा सभा के अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान की मांग को तुरन्त हाथ में लिया जायेगा।

(vii) किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जायेगा जो मांग किये जाने से 48 घंटे से अधिक नहीं हो जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देशित करें।

(viii) किसी व्यक्ति के मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है कि मामले में तथा-अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

62. सामान्य सभा का कार्यवृत्त :

(i) बैंक सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस आशय हेतु बनायी गयी पुस्तकों में दर्ज करेगा।

(ii) इस प्रकार का कोई भी कार्यवृत्त जिस पर बैठक की कार्यवाही के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने हों अथवा आगामी बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों वह कार्यवाह का साक्ष्य होगा।

(iii) जब तक की अन्यथा प्रमाणित न हो, कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जिनके कार्यवृत्त तैयार किये गये हैं यह माना जायेगा कि ऐसी बैठकें बुलायी गयी और हुई हैं और उनसे सम्बन्धित सभी कार्यवाही विधिवत् सम्पन्न हुई हैं।

अध्याय—V

निदेशकों का चयन

63. निदेशकों का चयन सामान्य सभा में होगा :

(i) अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद 3 के खण्ड (i) के अनुसार किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा रजिस्टर दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की सामान्य सभा में उनके बीच से से किया जायेगा।

(ii) जबकि किसी निदेशक का चयन सामान्य सभा में किया जायेगा इस आशय की सूचना सामान्य सभा बुलाने की सूचना में दी जायेगी। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियाँ जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

64. शेयरधारकों की सूची :

(i) इन विनियमों के विनियम 55 के उपविनियम (i) के अंतर्गत शेयरधारकों की एक सूची रजिस्टर पर तैयार की जायेगी जिसके ऊपर से निदेशकों का चुनाव किया जायेगा।

(ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उनके लिखित विशिष्ट क्रमांक और उनके शेयरों के पंजीकृत किये जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसकी बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे। इस सूची की प्रतियाँ निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए गए मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए आवेदन

पर निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

65. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन :

(i) किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन निदेशक के रूप में चुनाव हेतु तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि

(क) वह बैंक के एक शेयर का शेयर धारक नहीं हो।

(ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(ग) उसके नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले सुगमता न कर दिया गया हो।

(घ) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों के हस्ताक्षर नामांकन पर होने चाहिए अथवा इन शेयरधारकों के विधिवत नियत अटनी के हस्ताक्षर होने चाहिए बगैरे ऐसे किसी शेयरधारक द्वारा नामांकन जो कोई कंपनी हो उनके निदेशकों द्वारा धारित संकल्प के तहत किया जाना चाहिए और जहां ऐसा किया गया हो वहीं पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा उसको सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी के द्वारा किया गया नामांकन माना जाएगा।

(ङ) न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने की गई यह घोषणा नामांकन के साथ सलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करना है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और उसे अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ सभी रूप में पूर्ण होकर बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 पूर्ण दिनों के पहले प्राप्त न हो जाए।

66. नामांकनों की जांच (जांच) :-

(i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी कार्य दिवस को की जाएगी

और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और इस पर उसके निरस्त करने का कारण दर्ज कर दिया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार के चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से इसी कार्य के लिए बुलाई गई हो तो यह रद्द हो जाएगी।

(ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमान्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निर्देशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।

(iii) वह निर्देशक जिसका चयन किसी रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उम तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को इसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

67. चुनाव-विवाद

(i) यदि कोई संदेह अथवा विवाद किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में उठता है जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चयनित माना गया है अथवा चुनाव घोषित किया गया है अथवा उसे चुना घोषित किया जाना है तो निर्देशक चुने जाने की वैधता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्याशी होने में रुचि रखता हो अथवा शेयर धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, उसे इस प्रकार के चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक को इसकी लिखित सूचना देनी चाहिए और उक्त सूचना में चुनाव की वैधता और विवाद अथवा संदेह के सभी आधारों का विवरण देना चाहिए।

(ii) उपविनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निर्देशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निर्देशक और कोई दो निर्देशक होंगे जिन्हें अधिनियम की धारा 9 के अनुच्छेद 3 के उपखण्ड ख और ग के अंतर्गत नामित किया गया है।

(iii) उपविनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधि मान्य चुनाव है तब वह घोषित चुनाव की पुष्टि कर देंगे अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधि मान्य नहीं था तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव

कराने अथवा जैसे समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, सहित निर्देश जारी करेगी।

(iv) इस विनियम के अनुरूप समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

अध्याय VI

शेयरधारकों का मताधिकार

68. मताधिकार का निर्णय

(i) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप सामान्य सभा की तारीख के पहले रजिस्टर बन्द होने की तारीख पर जिसे शेयर धारक रजिस्टर में दर्ज किया गया है ऐसे प्रत्येक शेयर धारक को हाथ उठाकर एकमत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उनके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार है।

(ii) अधिनियम के अनुच्छेद 3 (2ई) में दिए गये प्रावधानों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक जो कम्पनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उपविनियम (i) में यहाँ ऊपर उल्लिखित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के लिए "कम्पनी" से तात्पर्य "कारपोरेट निकाय" में है।

(iii) बैंक के शेयर धारक सामान्य सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति (शेयर-धारक हो अथवा नहीं) उसके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त कर सकेंगे, परंतु किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान :

(i) कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कम्पनी एक संकल्प के द्वारा जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा कम्पनी की ओर से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नामों में हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकेगा।

(ii) बैठक के लिए निर्धारित की गयी तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने संबन्धी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि न जमा कराने की दशा में कोई भी व्यक्ति न तो किसी बैठक में भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा।

70. परोक्षी :

(i) परोक्षी के लिए कोई भी प्रपत्र तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा मयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्ट्रार में नाम वाले धारक द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा कारपोरेट निकाय के मामले में इसके अधिकारी अथवा किसी विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

बशर्ते, परोक्षी का कोई प्रपत्र किसी शेयर धारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर किये गये हों, जो यदि किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हों और उनके अंगूठे के निशान इस पर अंकित किये गये हों तो न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एग्योरेंस के उप रजिस्ट्रार अथवा सरकार के अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

(ii) कोई भी परोक्षी तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत स्टाम्प न लगाया हो और इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में अथवा किसी अन्य स्थान पर, जिसको बैंक ने इस आशय हेतु विधिवत अधिसूचित किया हो, बैंक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 4 दिनों पहले मुख्तारनामे के साथ अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अस्तर्गत इस पर

हस्ताक्षर किये गये हैं अथवा मुख्तारनामे की प्रति अन्य प्राधिकारी द्वारा जिसे सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो अथवा मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार पत्र जिसको नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा इसे प्रमाणित किया गया हो, और इसे बैंक के पास पहले से इस प्रकार के मुख्तारनामे की अथवा प्राधिकार को जमा न कराया गया हो।

(iii) परोक्षी का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब कि यह फार्म "बी" में हो।

(iv) बैंक के पास जमा कराया गया परोक्षी का प्रपत्र अविकल्पी और अन्तिम होगा।

(v) ऐसे मामलों में जहाँ परोक्षी दो व्यक्तियों के पक्ष में विकल्पतः प्रदान किया हो, एक फार्म से अधिक को निष्पादित नहीं किया जायेगा।

(vi) इस विनियम के अन्तर्गत परोक्षी के प्रपत्र को प्रदान करने वाला स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस बैठक के मत नहीं दे सकेगा, जिसके लिए उसने इस प्रकार की परोक्षी प्रदान की है।

(vii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जो कि बैंक में अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

बी० एन० कामा
सहायक प्रबंधक विभिन्न
रुते बैंक आफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

फार्म "ए"

शेयर अन्तरण फार्म

(विनियम 17 का उप-विनियम (1) देखें)

निम्नलिखित के प्रतिफल स्वरूप लिखित नाम के अंतरणकर्ता/अंतरणकर्ताओं द्वारा लिखित नाम के अंतरिती/अंतरितियों को निम्नलिखित वर्णित अंकित शेयरों को अंतरणकर्ता/अंतरणकर्ताओं द्वारा इन शेयरों की अपनी विद्यमान धारित शर्तों के अधधीन अंतरण करता है/करते और एतद्वारा अंतरिती/अंतरितियों ने उल्लिखित शर्तों के अधधीन इन शेयरों को स्वीकार और धारित करता है/करते हैं।

कम्पनी का पूरा नाम

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहाँ कार्रवाई हुई है, यदि की गई हो :

ईकित्ती शेयरों का विवरण

अंकों में संख्या	शब्दों में संख्या	प्रतिफल राशि (अंकों में)	प्रतिफल राशि (शब्दों में)
विशिष्ट सं०			से तक

तदनुसूची प्रमाण पत्र सं०

अंतरणकर्ता (ओं) (चिह्नता (ओं) के विवरण

पंजीकृत फोलियो सं

हस्ताक्षर

पूरा नाम

1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

अनुप्रमाणन

मैं यहाँ वर्णित अंतरणकर्ता (ओं)
के हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करता हूँ
हस्ताक्षर
नाम
पता/सील

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम और पता

पिन

नोट : उपयुक्त होगा यदि नाम की खड़ मोहर सीधी लाइन में लगाई गई हो। वर्णानुक्रम को बनाए रखा जाए। जब समशोधन सदस्य द्वारा शेयरों की सुपुर्देगी की जाए तो ब्रोकर की समशोधन संख्या दी जाए।

सुपुर्देगी देने वाले ब्रोकर या
समाशोधन सदस्य का
नाम

दिनांक

मुख्तारनामा/प्रोवेट/मृत्यु प्रमाणपत्र

क्रियास्वयन पत्र

कंपनी में पंजीगत सं० दिनांक

(ब्रोकर के हस्ताक्षर (आक्षर नहीं)

बैंक कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज समाशोधन गृह)

जमा कराने वाले का नाम

पूरा पता

शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएं

(उस व्यक्ति का नाम और पता दें जिसे प्रमाण पत्र वापस किए जाने हैं)

नाम और पता

शेयर अंतरण स्टाम्प

अंतरिती (अंतरितियों)
का/के पूरा/पूरे नाम

खरीददार (रों) के विवरण

हस्ताक्षर

1.

1.

2.

2.

3.

3.

व्यवसाय

पता

पिता/पति का नाम

1.

2.

3.

अंतरिती (अंतरितियों) का वर्तमान
फोलियो, यदि कोई हो, नामों के
अनुक्रम में

लगाई गयी मोहरों का

मूल्य रु०

आज दिनांक एक हजार नौ सौ
स्थान

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

जांचकर्ता

हस्ताक्षर मिलनकर्ता

रजिस्टर में दर्ज

अंतरण संख्या

अनुमोदन संख्या

अनुप्रमाणन के लिए अनुदेश

फोलियो

कम्पनी फोड

अंतरिती (अंतरिनियों) के नमूना हस्ताक्षर

1.

2.

3.

अनुप्रमाणन जहां, अपेक्षित हो (अंगूठे का निशान चिह्न हस्ताक्षर अंतर आदि) मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट या सरकारी कार्यालय का प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति या उसके कार्यालय की सील का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा सदस्य जिसके माध्यम से शेयर लाए जाते हैं या अंतरणकर्ता बैंक का प्रबंधक।

फार्म "बी"

परोक्षी फार्म

(बि नियम 70 का उप बि नियम (iii) देखें)

फोलियो सं०

(शेयर होल्डर द्वारा भरा जाए)

मैं/हम

निवासी बैंक आफ इंडिया का शेयर धारक हूँ/हैं और मेरे/हमारे पास बैंक के शेयर

धारक रजिस्टर में दर्ज विशिष्ट सं० से तक के शेयर हैं।

मैं/हम एतद्वारा श्री निवासी

(अथवा उनके स्थान पर श्री निवासी

.....) को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से होने वाली या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

दिनांक 19

को हस्ताक्षरित

नाम

रूपया चालीस पैसे का

पता

रसीदी टिकट चिपकाएं

श्री० एन० कामा
महाप्रबन्धक (बिधि)

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय 41/2, एम०जी० रोड
बेंगलूर-1, दिनांक 4 मई 1999

सं० कार्मिक/स्थापना/2282/99—बैंकिंग कम्पनी (उप-
क्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 12,
उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्र
में पूर्व अनुमति के साथ विजया बैंक का निवेशक
मंडल निम्न लिखित विनियम बनाता है :

संक्षिप्त नाम व प्रायंभ

1. ये विनियम विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित)
विनियम 1998 कहलाए जाएंगे।

2. ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

II विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम
38 के एवज में निम्नलिखित विनियम होंगे।

38—इसके नीचे यथा उपबंधित अधिकारी द्वारा अर्जित सभी
प्रकार की छुट्टी, उनके पदत्याग, सेवानिवृत्ति मृत्यु, सेवामुक्ति/
बरखास्तगी या किसी अन्य कारण के लिए सेवा समाप्त होने
से व्यपगत होगी।।

परन्तु जहां अधिकारी द्वारा इन विनियम के विनियम 19 की
शर्तों के अनुसार बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्ति होने या विजया बैंक
(कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 की शर्तों के अनुसार
1 नवम्बर, 1993 के बाद स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर

संचित छुट्टी के आधार पर जिसकी अधिकतम सीमा 240
दिनों तक है, साधिकार छुट्टी की समतुल्य परिनिबध्यां पाने
का पात्र होगा।

परन्तु यह और कि यदि सेवाकाल के दौरान अधिकारी की
मृत्यु हो जाती है तो उनके विधिक प्रतिनिधि को, अधिकारी के
जीवित होने की स्थिति में मृत्यु तक संचित सावधि छुट्टी जिसकी
अधिकतम सीमा 240 दिन है, की समतुल्य राशि देय होगी।

वी० श्रीवर गेट्टी
महाप्रबंधक (कार्मिक)

वि कास्ट एंड बर्क्स एकाउन्टेंटस संस्थान

कलकत्ता-700016, दिनांक 1 जून 1999

वि कास्ट एंड बर्क्स एकाउन्टेंटस अधिनियम 1959
(1959 का 23वां) की धारा 39 की उपधारा (1) की उपधारा
(3) के साथ मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए, परिषद,
केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कास्ट एंड बर्क्स एकाउन्टेंटस
अधिनियम 1959 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

कास्ट एंड बर्क्स एकाउन्टेंटस अधिनियम 1959, अधि-
नियम 21 की निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

2.1 पंजीकरण शुल्क :—पंजीयन के लिए आवेदन करने वाला
प्रत्येक व्यक्ति 300/- रु. का
विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क देगा।

(उपरोक्त अधिनियम 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे)।

उदयन राम
सीपक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

भविष्य निधि भवन, 14—भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली—110066, दिनांक : 10 मई, 1999

से

सं० के०भा०नि०आ० 1(4)/डी०एल० (1699)/720—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्न-
लिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण
उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2		4
1.	डी०एल०/16804	मं० इंडो मोबिल लि०, स्यूट नं० 405, 408, चौथी मंजिल, पहारपुर, बिजनेस सेंटर, 21-22, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019।	1-1-95
2.	डी०एल०/17726	मं० ली एण्ड फंग इंडिया प्रा० लि०, 8, बालाजी इस्टेट, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली—110019।	1-4-96

1	2	3	4
3.	डी०एल०/18963	मै० शिवा बिल्डर्स, 23/3, इंडस्ट्रीयल एरिया, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली—110005 ।	1-1-97
4.	डी०एल०/18988	म० सक्सेड कंसट्रक्शंस प्रा० लि०, ए० सी-1/141-बी, शालीमार बाग, दिल्ली—110052 ।	1-1-97
5.	डी०एल०/19015	मै० विद्यामंदिर क्लासिज प्रा० लि०, 12/37, लोवर भाऊड, पंजाबी बाग (वैस्ट), नई दिल्ली—110026 ।	1-7-97
6.	डी०एल०/19032	म० कादिमों इंटरनेशनल प्रा० लि०, काशी हाऊस, 7-ए, कनाट प्लेस, नई दिल्ली—110001 ।	1-6-97
7.	डी०एल०/19051	मै० नादेन इंस्ट्र्यूट फार इंटिग्रेटेड लरनिंग इन-मैनेजमेंट, बी-11/66, शेर शाह सूरी मार्ग, मथुरा रोड़, बदरपुर, नई दिल्ली—110044 ।	1-4-97
8.	डी०एल०/19056	मै० प्रभा कंसट्रक्शंस, 81, प्रिया एम्प्लेस, दिल्ली—110092 ।	1-4-97
9.	डी०एल०/19065	मै० एल्वे इंजीनियरिंग सर्विसिज, 1/5289-ए, गली नं० 10, बलभीर नगर, शाहबरा, दिल्ली—110032 ।	1-1-97
10.	डी०एल०/19066	मै० सुपरटैक कंसट्रक्शंस प्रा० लि०, 525/2, वजीराबाद रोड़, मीत नगर, (नियर रेलवे क्रासिंग), दिल्ली—110094 ।	1-1-96
11.	डी०एल०/19067	मै० पावर प्वाइंट, ए-60/10, शाप नं० 44, सरपंच मार्किट, न्यु अणोक नगर, दिल्ली—110096 ।	1-4-97
12.	डी०एल०/19070	मै० निम्बले सिक्वोरिटी सर्विसिज प्रा० लि०, सी-1/77, कुष्ण विहार, दिल्ली—110041 ।	1-5-97
13.	डी०एल०/19090	मै० एम० के० सिक्वोरिटी सर्विसिज, सी-54, एम० बी० रोड़, खानपुर, नई दिल्ली—110062 ।	1-4-96
14.	डी०एल०/19098	मै० दि गुगर टेक्नालोजिस्टस् एसोसिएशन आफ इंडिया, 21, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कौलाश, नई दिल्ली—110065 ।	1-7-97
15.	डी०एल०/19099	मै० प्रसोनल एड, ए-11/3, वसन्त विहार, नई दिल्ली—110057 ।	1-8-97
16.	डी०एल०/19106	म० इन्वोवेटिव टैक्सटार्स प्रा० लि०, 807, रोहित हाऊस, 3, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली—110001 ।	1-7-97

1	2	3	4
17.	डी०एल०/19119	म० मेनारिनी रोनाक फार्मा लि०, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17, पालियार्नैट स्ट्रीट, नई दिल्ली—110001 ।	1-3-97
18.	डी०एल०/19124	मै० जापान ट्रावेल सर्विसिज, एन-42, कनाट सर्कस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली—110001 ।	1-7-97
19.	डी०एल०/19148	म० नेगई कंसल्टेशन प्रा० लि०, 16,-ए, रूम नं० 105, उदय पार्क, मस्जिद मोह, नई दिल्ली—110049 ।	5-4-97
20.	डी०एल०/19188	मै० पॉयनीर कॉरपोरेशन, 3344, पुसा गेट, साऊथ पटेल नगर, नई दिल्ली—110008 ।	1-11-97
21.	डी०एल०/19191	मै० इंडियन स्कूल ऑफ फार्मिनेस एण्ड मैनेजमेंट प्रा० लि०, हमधर्व कावेन्शन सेंटर, हमधर्व नगर, (नियर ग्रेटर कैलाश-11), नई दिल्ली—110062 ।	24-6-97
22.	डी०एल०/19206	मै० बटर बोर्थस इंडिया, सी-71-ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली—110017 ।	1-6-97
23.	डी०एल०/19207	मै० गंगा राम एण्ड संस, बी-2/282, सैक्टर-3, डा० अम्बेदेकर नगर, नई दिल्ली—110062 ।	1-1-96
24.	डी०एल०/19208	मै० एस० एण्ड एस० इकोटैक इंजीनियर्स प्रा० लि०, 304, डोहिल चैम्बर्स, 46, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 ।	1-8-97
25.	डी०एल०/19215	मै० मल्टीप्लार्ई, 54, अर्जुन नगर, कोटला सुबारिकपुर, नई दिल्ली—110003 ।	1-10-97
26.	डी०एल०/19218	मै० नारदन टेलीकाम लि०, ए-8, कुसुम इस्टीट्यूशनल एरिया, यू० एस० ओ० रोड, नई दिल्ली—110067 ।	1-3-96
27.	डी०एल०/19261	मै० सुविधि साईन स्टूडियोज प्रा० लि०, 92/3, ब्लॉक-2, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110015 ।	1-4-97
28.	डी०एल०/19264	मै० हुमाताज इंटरनेशनल, 485/6, जीनत बारी, हामिल्टन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006 ।	1-8-97
29.	डी०एल०/19265	मै० आधुनिक टेक्नोलोजी प्रा० लि०, 102-बी, एम० सी० भवन, 11/56, डी० बी० गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 ।	1-10-97
30.	डी०एल०/19267	मै० डब्ल्यू० के० एच० इंडिया प्रा० लि०, डी-55, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली—110065 ।	1-6-97

1	2	3	4
31.	डी०एल०/19282	मै० विन्स्टॉक इंटरनेशनल, 7, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 ।	1-4-97
32.	डी०एल०/19322	मै० घनश्याम लाल गोआमा, 270, जनता फ्लैट, नन्दनगरी, दिल्ली-110093 ।	22-5-95
33.	डी०एल०/19328	मै० खूबसूरत बियूटी पारलर्स, सी-26, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110065 ।	1-10-97
34.	डी०एल०/19333	मै० अनापूर्णा कार्गो मूवर्स प्रा० लि०, जी-151, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ।	1-4-97
35.	डी०एल०/19365	मै० यू० पी० एयरवेज लि०, ए-2, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।	1-10-97
36.	डी०एल०/19366	मै० भारद्वाज ऑटोमोबाइल्स (रजि०), 83/2, अक्षयीनी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110017 ।	13-10-97
37.	डी०एल०/19368	मै० चेन्नई पावर जनरेशन लि०, जे-66, पहली मंजिल, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 ।	1-3-97
38.	डी०एल०/19393	मै० ई० डी० गलगोटिया एण्ड संस, 17-बी, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ।	1-6-97
39.	डी०एल०/19400	मै० श्री श्रीगेरी शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शंकारा विद्या केन्द्रा, पश्चिमी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 ।	1-1-97
40.	डी०एल०/19411	मै० ए० पी० जे० आर० कंसलटेंसी सर्विसिज प्रा० लि०, सी-4/5, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016 ।	1-10-96
41.	डी०एल०/19413	मै० केडिया पॉवर लि०, जे-66, दूसरी मंजिल, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 ।	1-3-97
42.	डी०एल०/19459	मै० सिक्योर वर्ल्ड, एफ-3/631, बीर बाजार, देवली हाई स्कूल रोड, संगम विहार, नई दिल्ली-110062 ।	1-4-96
43.	डी०एल०/19463	मै० सुपर हाऊसकीपिंग एण्ड सिक्योरिटी सर्विसिज, 122-ए/21, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049 ।	1-10-96
44.	डी०एल०/19464	मै० राम निवास बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, 6/318, दक्षिण पुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110062 ।	1-5-95

1	2	3	4
45.	डी०एल०/19504	मै० इन्वेस्टीगेशन एण्ड सिक्योरिटी सिस्टमम, 221, डिफेंस कालोनी फ्लाईओवर, जंगपुरा साईड, नई दिल्ली-110024।	1-1-98
46.	डी०एल०/19513	मै० कुशवाहा सिक्योरिटी सर्विसिज ए-118, पंचशील बिहार, बिहाईड, मालवीय नगर पी० एस०, नई दिल्ली-110017।	1-2-97
47.	डी०एल०/19517	मै० एमके ट्रेडिंग कं० ए-46, बापू पार्क, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003।	1-8-97
48.	डी०एल०/19782	मै० मेयर सिक्योरिटीज प्रा० लि० मेयर हाउस, 2/16 अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002।	1-4-97
49.	डी०एल०/19813	मै० दिल्ली बक्फ बोर्ड, 5028, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002।	1-11-97
50.	डी०एल०/19886	मै० के० जी० टैकनीकल सर्विसिज, 120, एल०आई०जी० फ्लैट्स कॉम्प्लेक्स, सूरजकुण्ड रोड, पुल प्रह्लादपुर, बदरपुर, नई दिल्ली-110024।	1-10-97
51.	डी०एल०/19895	मै० सीनर्जी सोफ्टवेयर्स लि० सी-99 दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024।	1-4-97
52.	डी०एल०/19901	मै० मैजिक गिफ्ट्स एण्ड स्टेशनरी प्रा० लि०, 9/54, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110015।	1-7-97
53.	डी०एल०/19921	मै० स्नोवी माऊन्टेन्स इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि०, 205, गोलफ लिक्स, नई दिल्ली-110003।	1-12-97
54.	डी०एल०/19926	मै० बी० एस० इलेक्ट्रिकल एण्ड रेफ्रीजिरेशन, आर-302/19, स्वतंत्र नगर, नरेला, दिल्ली-110040।	1-7-97
55.	डी०एल०/19950	मै० आर्ट इंडिया, 121-ए, शंकर नगर, नई दिल्ली-110051	1-11-97
56.	डी०एल०/19972	मै० ए० टी० कीअर्नी लि०, ताज महल होटल, स्यूट नं० 10011, मान सिंह रोड; नई दिल्ली-110011।	1-6-97
57.	डी०एल०/20006	मै० स्टेट बैंक आफ इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन को-आपरेटिव थिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि०, गली नं० 19, रंजीत नगर, नई दिल्ली-110008।	1-4-97

1	2	3	4
58.	डी०एल०/20024	मै० बी० के० कार्गो एजेंसी, यू० जी०-22, सोम वत्त चैम्बर्स-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ।	1-12-97
59.	डी०एल०/20027	मै० फार्मावेस एक्सपोर्ट्स, 524, अंसल चैम्बर्स-II 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ।	1-12-97
60.	डी०एल०/20068	मै० पेलहोरा कमद्रकशन क० ए-62, आया नगर, एम्स० फेस-5, नई दिल्ली-110047 ।	1-5-98
61.	डी०एल०/20084	मै० विष्णु एक्सिम ओवरसीज प्रा० लि०, एम-533, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 ।	1-1-98
62.	डी०एल०/20089	मै० दि ब्रोकर हिल प्रोप्रीएटरी क० लि०, चौधी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, बाराखम्बा लेन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 ।	1-12-97
63.	डी०एल०/20102	मै० जी०ई०सी० एलसथोम पावर जनरेशन इंडिया लि०, 2, पालम मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 ।	1-11-97
64.	डी०एल०/20125	मै० लाहमेयर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि०, 305, डोहिल चैम्बर्स, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 ।	1-1-98
65.	डी०एल०/20140	मै० राय इंडस्ट्रीयल पावर प्रा० लि०, 302, 303, काम्पिटेंट हाऊस, एफ-14, मिडल सर्कल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ।	1-1-97
66.	डी०एल०/20146	मै० कम्पैक्ट सिस्टम्स प्रा० लि०, सी-61/2, अर्जुन नगर, सफदरजंग एम्ब्लेव एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110029 ।	1-2-98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

के० सी० पाण्डेय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम “पंचदीप” भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1999		
सं० बी-33(13)-4/91-स्था० 4.—कर्मचारी राज्य बीमा साधारण विनियम 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण और निगम की अधिसूचना संख्या बी-33(13)-4/91-दिनांक 25-5-1995 के अतिक्रमण में अध्यक्ष कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा दिल्ली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्—		
1. श्रम मंत्री, दिल्ली सरकार ।	अध्यक्ष	
2. श्रम आयुक्त, दिल्ली सरकार ।	उपाध्यक्ष	
3. संयुक्त श्रम आयुक्त, दिल्ली सरकार ।	सदस्य	
4. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली कर्मचारी राज्य बीमा योजना, दिल्ली ।	सदस्य	
5. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उत्तरी जोन, दिल्ली ।	सदस्य	
6. श्री मेधा सिंह अरोड़ा, जनरल सैक्रेटरी, मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, पी० टी० करनाल रोड़, दिल्ली ।	नियोजक के प्रतिनिधि	
7. श्री हीरा लाल शर्मा, प्रेजिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, (दिल्ली राज्य शाखा), आर० जेड-29, रोशन गार्डन नजफगढ़, नई दिल्ली-43.	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
8. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, भारतीय मजदूर संघ (दिल्ली प्रदेश), निवासी-194, बिबेकानन्द पुरी, आजाद मार्ग, दिल्ली-7.	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	
9. श्री योगेश कुमार शर्मा, 668, काबुल नगर, शाहदारा, दिल्ली-32.	—बही—	
10. श्री विनीत विरमानी, प्रबंध निदेशक, एम० पी० विरमानी एंड संम प्रा० लि०, नई दिल्ली-110002.	पदेन सदस्य	
11. श्री एम० सी० गनी, महाप्रबंधक (का० एवं प्र०), हिन्दुस्तान प्रैफेब लि० जंगपुरा, नई दिल्ली-110014.		पदेन सदस्य
12. श्री आर० के० सोमानी, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान सेनीटरी वेअर एंड इंडस्ट्रीज लि०, 601-603, पसा टावर-ii, 22, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008.		—बही—
13. श्री माइकल डायम, महासचिव, नियोजता संघ, 13/16 डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली ।		—बही—
14. श्री एम० के० गर्ग, 66-बी, पाकेट-सी, गंगोत्री एन्कवेव, अलकनन्दा (एम० एफ० एम०) कालकाजी, नई दिल्ली-110019.		—बही—
15. श्री पी० के० ए० नारायणन, मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक), नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लि०, स्कोप काम्प्लैक्स, कोर-4 7-बोधी रोड़, नई दिल्ली-110003.		—बही—
16. श्री रामप्रकाश मिश्रा, रामनरेश भवन, तिलक गली, पहाड़गंज, दिल्ली ।		—बही—
17. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली ।		सदस्य-सचिव डी०सी० गुप्ता महानिदेशक
सं० बी-33(13)-5/95-स्था०-4.—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष गुजरात राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—		
1. माननीय मंत्री (श्रम एवं रोजगार) .	अध्यक्ष	

क्र०	सदस्यता	नाम एवं पता
सं०	संख्या	
1	2	3
2.	सदस्य	श्री राव एम० वी०, ए०सी०ए०, 190 रश्मि विल्ला, सी० जे० वेंकटेशदास रोड, बी० एस० के० 2 स्टेज, पदमानाभा नगर, बंगलोर-560070.
3.	सदस्य	श्री विजयाराघवन पी०, एफ०सी०ए०, 22 बक्शावाचलम स्ट्रीट, नियर डोन बोस स्कूल, पांडिचेरी-605008.
4.	सदस्य	श्री सुब्रामनियम एन०, एफ०सी०ए०, नं० 5 न्यू टैक स्ट्रीट, नन्नाक्कम, चेन्नई-600034।
5.	सदस्य	श्री मतीश कुमार एम, ए० सी० ए० 58 3 सैन रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई-600028.
6.	सदस्य	श्री डैनियल पी० टी०, एफ०सी०ए०, जनरल मैनेजर/चीफ एग्जीक्यूटिव निको कोरपोरेट फाइनेंस लि०, पो० आ० बाक्स 1396, ब्लानटायर, मलावी।
7.	सदस्य	श्रीमती गीताबेन ठाकुर, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 27, राजरत्न सोसायटी, एन० आर० पावापुरी बस स्टॉप, जनता नगर रोड, घाटलोडिया, कुरुणावती-380061.
8.	सदस्य	श्री बीपकभाई पंडया, भारतीय मजदूर संघ, अहमदाबाद।
9.	सदस्य	श्री महेन्द्रभाई ए० शाह, गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, पो० बा० न० 4045, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009.
10.	सदस्य	श्री जयंती लाल एच० पारिख, महासचिव, आल गुजरात इन्डस्ट्रियल एंड कमर्शियल, एस्टेब्लिशमेंट्स ओनर एसोसिएशन, न्यू शारदा मंदिर, अहमदाबाद-7.
11.	सदस्य	श्री वीषक कुमार आर० देव, सचिव, गुजरात इंडस्ट्रियल एम्पलायर्स एसोसिएशन, 10/बी, सुरेशवाड़ी सोमायटी नारनपुरा गांव, बस स्टॉप के पीछे, अहमदाबाद-380013.
12.	सदस्य	श्री मतीश कुमार एम, ए० सी० ए० 58 3 सैन रोड, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई-600028.
13.	सदस्य	श्री डैनियल पी० टी०, एफ०सी०ए०, जनरल मैनेजर/चीफ एग्जीक्यूटिव निको कोरपोरेट फाइनेंस लि०, पो० आ० बाक्स 1396, ब्लानटायर, मलावी।

1	2	3	1	2	3
6.	18880	श्री रामा मूर्धी एस० एल०, एफ० सी० ए, 10, 3 फ्लोर, कुरुबरासंधी, मिल्वर जुबली बिल्डिंग, गांधी नगर, बंगलौर-560009।	15.	21824	श्री मनोहरन, पी०, एफ० सी० ए०, मैनेजर (फाइनेंस), सेलम स्टील प्लांट, सेलम-636013।
7.	18905	श्री कृष्णा ए० जी०, एफ० सी० ए, फ्लैट नं० 8, 61 क्रिस्ट पार्करोड, गांधी नगर, अद्वार, चेन्नई-600020।	16.	21878	श्री शशि कुमार, सी० पी०, एफ० सी० ए, टी० सी० 24/274 संस्थान कोविल स्ट्रीट, थाइकोड, थिरुवानन्थापुरम-695014।
8.	19092	श्री सत्यानारायनाच, ए० सी० ए०, सीफ मैनेजर, आंध्रा बैंक, 5 कन्नियाम्मान कोइल स्ट्रीट, शिनोय नगर, चेन्नई-600030।	17.	22085	श्री ललित नायक, एफ० सी० ए, 5-बी 10 क्रोस, राज महल विलास, बंगलौर-560080।
9.	20159	श्री कृष्णा प्रसाद एस०, एफ० सी० ए, 2287, 9 मैन "डी" ब्लॉक, 2 स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010।	18.	22843	श्री रमेश बी०, एफ० सी० ए, फाइनेंसियल कंट्रोलर, प्लाजा रोस टां० आर० डी एल एल सी दुबई, यू० एफ० ई०
10.	20603	श्री रघु बीरन टी० जे०, एफ० सी० ए, 20, भारथिवसन नगर, रामानाथापुरम, कोयम्बटूर-641045।	19.	23174	श्री शोषागिरी के० बी०, एफ० सी० ए, 735 आप्पानाकारा, स्ट्रीट 3 फ्लोर, कोयम्बटूर-641001।
11.	20727	श्री जयाकुमार, एस०, एफ० सी० ए, किरलोस्कर बैट्रीज लि०, पी० बी० नं० 2231, यशवन्तपुर, बंगलौर-560022।	20.	23700	श्री गनेशन एन; एफ० सी० ए, फ्लैट नं० 2, 2 फ्लोर एम्बेसी, टावर्स, 55 मोनटियथ रोड, इगमोर, चेन्नई-600008।
12.	21463	श्री रामबाबू ए०, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 202, प्रिया अपार्टमेंट्स, ए० ब्लॉक, 38/39 मधुरा नगर, हैदराबाद-500038	21.	24758	श्री वैकटेश्वरन बी०, ए० सी० ए, 1/45 नेहरू नगर, मदुराई-625018।
13.	21489	श्री पद्मानाभन सी० के०, एफ० सी० ए, के० बी० आर० (के० एस०) कम्प्लेक्स (अपस्टेयर्स), बाँय पास रोड, धर्मापुरी-636701।	22.	24986	श्री नागाराजा बी० एम०, एफ० सी० ए, पोस्ट बाक्स नं० 20613, नैरोबी, कीन्या।
14.	21565	श्री रेड्डी बी० एम, एफ० सी० ए, 17B, उपस्टेयर्स, 10 क्रोस सेमपिज रोड, मालेश्वरम बंगलौर-56003।	23.	25635	श्री जयाराम गोपाल भट्टा, एफ० सी० ए, 652/बी/2 फ्लोर 60, फीट रोड, 2 स्टेज राजाजीनगर, बंगलौर-560010।
			24.	25944	श्री बालाकृष्णा शबाराया, के, एफ० सी० ए, 87 श्री नन्जुमदेश्वरा बिल्डिंग, 2 फ्लोर, 11 क्रोस, माल्लेश्वरम, बंगलौर-560003।

1	2	3	1	2	3
25.	26020	श्री प्रसादा राघ जी० बी० जी०, एफ० सी० ए०, फरमानोबा जाम्बिया लि०, 3282, मुशिली रोड, नडोला पोस्ट बाक्स 71555 जाम्बिया	34.	28598	श्री मनोहरन आर०, एफ० सी० ए०, 13, 2 फ्लोर, मलेश काम्पलेक्स, गांधी बाजार, बसावानगुडी, बंगलौर-560004।
26.	26270	श्री गुनासेकरन, पी०, ए० सी० ए०, साइट नं० 97, पी० एम० आर० लेआउट अपोजिट गोल्ड बिनस्ट, सिविल एयरो पोस्ट, कोयम्बटूर-641014।	35.	28802	श्री अरुण कुमार जी० वी० आर०, एफ० सी० ए०, फ्लैट ए० 203 हिमावथी अपार्टमेंट्स, स्ट्रीट नं० 8, हड्डीगुडी, हैदराबाद-500007।
27.	26548	श्री प्रसाद जी० वी० एल, एफ० सी० ए०, 105 1 ब्लॉक, 1 फ्लोर, दिव्याशक्ति काम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500016।	36.	28834	श्री सत्या धुर्या श्रीनिवास वी०, एफ० सी० ए०, 33 ब्लॉक ए०, सनटस सिखरा अपार्टमेंट्स, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082।
28.	26899	श्री रामाचंद्रा मूर्थी सी० वी०, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 1, श्रीनिवासा अपार्टमेंट्स, बिहाइन्ड सोमाजीगुडा पी० ओ०, राजभवन रोड, हैदराबाद-500082।	37.	29280	श्री विनोद, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 214, आश्रया अपार्टमेंट्स, मददुगुडा, सिकन्दराबाद-500017
29.	27127	श्री चन्धु मोहन ए०, ए० सी० ए०, प्लॉट नं० 14, सलारजंग कालोनी, हैदराबाद-500008।	38.	29491	श्री बालेवेकर गजानन महादेवसा, एफ० सी० ए०, 2 फ्लोर, गुडी काम्पलेक्स, हाजीबान पथ धारवाड़ डिस्ट०, हुबली-580028।
30.	27937	श्री गनापथी कृष्णन एस०, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 12, इण्डियन बैंक हाउस, डा० आर० पी० रोड, मुल्सूड (वैस्ट), मुम्बई-400080।	39.	29825	श्री कान्मुरी वेंकटा कृष्णन राजू, एफ० सी० ए०, 6-1-290, पदमा राव नगर, सिकन्दराबाद-500025।
31.	28199	श्री रामालिगा कुमार डी०, एफ० सी० ए०, 13 कुप्पुसामी पिल्लई स्ट्रीट, सिवाकाशी-626123।	40.	29855	श्री हरी हरागव एस०, ए० सी० ए०, रूम नं० 4, ईस्टर्न सोज, 19 कामा राज रोड, बंगलौर-560042।
32.	28269	श्री सथीसन पी०, ए० सी० ए०, बजट एण्ड कोस्ट एकाउन्टेन्ट, कम्प्यूटर नेटवर्क सिस्टम्स, पी० ओ० बाक्स नं० 46144, आबू धाबी।	41.	30027	श्री बालारामदास राधाकृष्णन, ए० सी० ए०, चीफ जनरल मेनेजर, स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया, टेम्पल टावर, 5 फ्लोर, 480 अन्ना सलाई, चेन्नई-600035।
33.	28449	श्री श्रीनिवासन राव के, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 12, साई कृपा अपार्टमेंट्स, रेड हिल्स, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004।	42.	30050	श्री सूजीर राधाकृष्णा गोविन्द नायक, एफ० सी० ए०, 406, महेन्द्राफा आरकेड, करंगालपाडी, मैंगलोर-575003।

1	2	3	1	2	3
43.	36561	श्री बिभल चन्व जैन, ए० सी० ए०, एसिसटेंट मनेजर, बि न्यू इण्डिया एंशोरेंस कं० लि०, रीजनल आफिस, 5 फ्लोर, सुर्या टावर्स, एस० पी० रोड, सिकन्दराबाद-500003।	52.	202531	श्री जोहन पीटर ए०, ए० सी० ए०, 29 जी०/2, न्यू कारकाना स्ट्रीट, तिरुवाभामलाई डिस्ट०, तिरुवाभामलाई-606602।
44.	52641	मिस सुधा रामास्वामी, ए० सी० ए०, वाइस प्रजीडेंट, बैंक आफ अमेरिका, 748 अन्ना सलाई, चेन्नई-600002।	53.	202993	श्री रवि कुमार चिल्लारा, ए० सी० ए०, 5-25-105 थर्ड लाइन, ब्रोडिपेट, गुन्दूर-522002।
45.	200201	श्री मधु सुधन पी, एफ० सी० ए०, 18/1 2 फ्लोर, वी० जी० गोपाल बिल्डिंग, लालबाग, फोर्ट रोड, बंगलौर-560004	54.	203351	मिस निराईमथी के०, ए० सी० ए०, नं० 26 पारी पूर्णा, विनायकर कोइल स्ट्रीट, माइलापोर, चेन्नई-600004।
46.	200378	श्री जोहन जीराल्ड निक्सन मनडेकम, एफ० सी० ए०, 41/695 कचतूर रोड, कोची-682018	55.	203503	श्री लक्ष्मीनारायणन टी० आर०, ए० सी० ए०, नं० 32 3 क्रोस स्ट्रीट, नागप्पा ब्लोक, श्रीरामपुरम, बंगलौर-560021
47.	200628	श्री मयुनजया अनन्त हेगडे, ए० सी० ए०, नं० 42 स्टेशन रोड, थाने वेस्ट, मुम्बई 400601	56.	203671	श्री मनोहर वी०, ए० सी० ए०, 42 नायडु, स्ट्रीट, कोत्तुरपुरम, चेन्नई-600085।
48.	201500	श्री श्रीनिवासन एच ए० सी० ए०, आशिबाव अपार्टमेंट्स, 11/2 लोक स्ट्रीट, कोट्टुरपुरम, चेन्नई-600085.	57.	203955	श्री प्रभाकर वीरावल्ली ए० सी० ए०, केयर आफ पट्टाभी रामैया के०, फ्लैट नं० 102 बी, सिद्धार्थ व्याशाली अपार्टमेंट्स, 7-1-396 बी० के० गुडा संजीवारुही नगर, हैदराबाद-500038।
49.	201743	श्री विष्णु वरधन रेड्डी के, एफ० सी० ए०, 31-4-1897/ए०/एफ० सुष्मा अपार्टमेंट्स वरकतपुरा, हैदराबाद-600027।	58.	204186	श्री हनुमन्था राव के०, ए० सी० ए०, नं० 230 2 क्रोस 3 ब्लोक, 3 स्टेज.8 मैन बसावेयवर नगर, बंगलौर-560079।
50.	201863	श्री वेंकटास्वामी आर० जे०, ए० सी० ए०, 1-714-2 उपस्टेथर्य आफ इंडियन नैस एजेंसी, अपोजिट टाउन पुलिस स्टेशन, नादिपाळी-515411.	59.	204248	श्री गोपालाकृष्णन ई०, ए० सी० ए०, 122/2 एन० टी० आर० स्ट्रीट, रंगाराजापुरम, कोदमबक्कम, चेन्नई-600024।
51.	201885	श्री बेंजामिन पी० टी०, ए० सी० ए०, फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर, रामाक्ष हॉस्पिटल, पी० डी० बाक्स-1768 बोहा, कत्तार।	60.	204282	मिस मंजुला जी०, ए० सी० ए०, 2079-डी० हजेलवुड, कोर्ट, उरवाना इल-61801, यु०एस० ए०,

1	2	3	1	2	3
61.	204415	मिस जयाश्री एन० बी०, ए० सी० ए, 308 गार्डन अपार्टमेंट्स, ग्रिटल माल्या रोड, बंगलौर-560001 ।	66.	205211	श्री फनिन्द्रा प्रकाश इलापाकुर्ती, ए० सी० ए, 16202 इल कैमिनो रीयल अपार्टमेंट, नं० 1726, होस्टन, टेक्सास 77062 ।
62.	204597	श्री बेलागुर एच० एच०, ए० सी० ए, एकाउन्ट्स एक्जीक्यूटिव, ट्रेडेक्स एल० एल० सी पी० ओ० बॉक्स 8508, बुवई, यू० ए० ई० ।	67.	205387	श्री शंकर अब्दुल फरीद एम०, ए० सी० ए०, इन्टरनल ऑडिटर, वजट रेंट ए कार पी० ओ० बाक्स, 18106, जेड्हाह-21415, साउदी अरेबिया ।
63.	205045	श्री बालाजी आर०, ए० सी० ए, एकाउन्ट्स आफिसर, हिन्दुस्तान मोर्टस लि०, व्हील लोडर प्लांट सेदरापेट, पाण्डिचेरी-605111 ।	68.	205878	श्री मोहन बालाकृष्णन, ए० सी० ए, 66 1 मैन रोड, नोवर पैलेस आर्बाइंस, बंगलौर-560003 ।
64.	205172	श्री नागा किशोर जी०, ए० सी० ए०, 6-3-347/13 द्वारकापुरी कालोनी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082 ।	69.	206090	श्री प्रसादा राव के० वी० डी०, ए० सी० ए, 5-8-3 11, चिराग अली लेन, हैदराबाद-500001 ।
65.	205181	मिस माधवी लथा आर, ए० सी० ए०, अपार्टमेंट, 206 5228 नोर्थ सेरीवन रोड, चिकागो इल 60640, यू० ए० ए ।	70.	206148	श्री वामुदेवा राव कान्डीमस्ला, ए० सी० ए, डी० नं० 6-10-7/1, 10/2 अरुनडेलपेट, गुन्टूर-522002 ।

अशोक हल्दिया,
सचिव,

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

चेन्नई-600034, दिनांक 17 मई 1999

सं० 3-एस०सी०ए० (5)/1/98/99:—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एस० सी० ए० (4)/7/85-86 दिनांक 30 सितम्बर, 1985, 3-एस०सी०ए० (4)/13/85-86 दिनांक 31 मार्च, 1986, 3-एस० सी० ए० (4)/10/88-89 दिनांक 27 जनवरी, 1989, 3-एस० सी० ए० (4)/8/90-91 दिनांक 1 दिसम्बर, 1990, 3-एस० सी० ए० (4)/9/91-92 दिनांक 1 जनवरी 1992, 3-एस० सी० ए० (4)/3/92-93 दिनांक 27 नवम्बर, 1992, 3-एस०सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी, 1994, 3-एस० सी० ए० (4)/94-95 दिनांक 22 फरवरी, 1995, 3-डब्ल्यू० सी० ए० (4)/9/94-95 दिनांक 30 जनवरी, 1995, 3-एस० सी० ए० (4)/4/95-96 दिनांक 12 मार्च, 1996, 3-एस० सी० ए० (4)/3/96-97 दिनांक 11 दिसम्बर, 1996, 3-एस० सी० ए० (4)/5/96-97 दिनांक 7 अप्रैल, 1997, 3-एस० सी० ए० (4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 और 3-ई० सी० ए० (4)/3/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण, में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम जुन: उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	2510	श्री लक्ष्मीनारायनन बी०, ए० सी० ए०, 50 एफ० ब्लॉक-1 मैन रोड, अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई-600102.	10-6-1998

1	2	3	4
2.	7657	श्री कल्याण रामन वी०, ए० सी० ए०, नं० 100/101-बी 1, राघवन कोलोनी, फस्ट क्रोस, अशोक नगर, चेन्नई-600083.	15-7-1998
3.	7773	श्री मोहन आर० एस०, ए० सी० ए०, 15, चित्राकुलम नोर्थ, स्ट्रीट, माइलापोर, चेन्नई-600004.	14-7-1998
4.	10028	श्री नायर पी० आर०, एफ० सी० ए०, फाइनेन्स मैनेजर, यूनाइटेड इलेक्ट्रीकल्स इंडस्ट्री लि०, पाल्लीमुवेकु, कोल्लम-691010.	6-7-1998
5.	11005	श्री रंगाराजन आर०, ए० सी० ए०, 1009, टी० वी० एस० कोलोनी, अन्ना नगर, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, चेन्नई-600101.	3-8-1998
6.	13766	श्री सौन्दराराघवन आर०, ए० सी० ए०, वाइस प्रेजिडेंट (फाइनेन्स), जुआरी इंडस्ट्रीज लि०, जुआरी नगर, गोवा-403726.	9-4-1998
7.	15063	श्री गोजकुट्टी कुंभेरिया ए० सी० ए०, वाडाकारा हाऊस, पलारीवट्टम, कोची-682025.	12-6-1998
8.	18822	श्री गोपालाकृष्णनन एस०, ए० सी० ए०, 37, हिलबोरो रोड, श्री किन्स, ओकलैंड 1004, न्यू जीलैंड	13-5-1998
9.	19215	श्री हजा मैदीन के० ए०, ए० सी० ए०, ब्लोक-22, 13-3009, यूनोस क्रिसेंट, सिंगापोर-1440.	3-4-1998
10.	19255	श्री यनीगाराजू एस०, ए० सी० ए०, नं० 6/5 क्रोस स्ट्रीट (ग्राउंड फ्लोर), वृन्दावन, पांथिवेरी-605013.	17-7-1998
11.	19437	श्री शंकरानारायनन एस०, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 7, मजिस्टिक गार्डन्स, नं० 48, आरकोट रोड, सालीग्रामम, चेन्नई-600093.	5-5-1998
12.	19490	श्री पन्नीर सेलवम सी०, ए० सी० ए०, मैनेजर-फाइनेन्स, इंडियन आयल कोरपोरेशन लि०, पानमपिल्ली नगर-पोस्ट, केरला स्टेट ऑफिस, कोचीन-682036.	30-4-1998
13.	19884	श्री सुन्दरा रामन आर०, एफ० सी० ए०, 15/1 सुन्नीयारेड्डी, रोड, उलसूर, बंगलौर-560008.	18-5-1998
14.	20176	श्री० हरीशा भट ए०, ए० सी० ए०, 28/4, मैन शंकर नगर, महालक्ष्मी लेआउट, बंगलौर-560096.	20-4-1998

1	2	3	4
15.	20178	श्री रामाकृष्णन वी०, ए० सी० ए०, इंडियन आयल कोरपोरेशन लि०, 139 महात्मा गांधी रोड, न्याम्बक्कम, चेन्नई-600034.	28-5-1998
16.	20381	श्री बगदाराजन एम०, एफ० सी० ए०, टी०सी० 15/1847, फोरेस्ट ऑफिस लेन, वाङ्गुभाकोड, थिरुवानन्थापुरम-695014.	22-6-1998
17.	20431	श्री अरमुगम सी०, एफ सी० ए०, 5/999, मराई मलाई आदिगल स्ट्रीट, सदाशिव नगर, मदुराई-625020.	15-5-1998
18.	20941	श्री रमानी एस०, ए० सी० ए०, फाइनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, विडेलिटी प्रिन्टिंग इन्धोरेंस कं० लि०, पो० आ० बॉक्स 47435, नैरोबी, कीन्या ।	16-4-1998
19.	21072	श्री अशोक एच०, एफ० सी० ए०, सेक्शन हेड, कस्तार एयरवेज, पी० ओ० बॉक्स-22550, दोहा कतार ।	3-8-1998
20.	21256	श्री महेश अयर एन०, ए० सी० ए०, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, दमैक इवेस्टमेंट कं० एल० एन० सी० पो० ओ० बॉक्स 2195, दुबई, यू० ए० ई० ।	20-4-1998
21.	21306	श्री जोर्ज प्रेम थरयन, ए०सी०ए०, 8 आनन्द अपार्टमेंट्स, पोस्ट नं० 24-25, अजीज नगर 2 स्ट्रीट, कोदम्बक्कम, चेन्नई-600024.	15-6-1998
22.	21501	श्री कासीनाथूनी वेंकटेश्वरा राव, एफ० सी०ए०, 3-6-459/ए, 5 स्ट्रीट, हिमायत नगर, हैदराबाद-500029.	27-8-1997
23.	21866	श्री राजना कृष्णा राव, ए० सी० ए०, एच० नं० 2-219, प्रताप नगर, काफीनाडा-533004.	22-6-1998
24.	21907	श्री श्रीनिवासन एस, ए०सी०ए० डी० नं० 4 फ्लैट नं० 6 अरिहंत अपार्टमेंट्स सुब्रामनियन स्ट्रीट आफ आर्या गोवडा रोड वेस्ट मम्बालम चेन्नई-600033 ।	11-6-1998
25.	22215	श्री श्रीराम एस, ए०सी०ए० ब्लॉक 424 नं० 6-2430 ऐवेन्यू 3 आंग मो कियो मिगापोर-560424 ।	28-5-1998
26.	22266	श्री वेंकटेश्वरु के०, एफ०सी०ए० सी-जी-2 भानुश्री अपार्टमेंट्स 3-5-873 हैदरगुडा हैदराबाद-500029 ।	9-6-1998

1	2	3	4
27.	22562	श्री रमेश रंगनाथन, ए०सी०ए०, 203, अरुनोदया अपार्टमेंट बिल्डिंग मिनर्वा कोफी गोप. हिल्दायतनगर, हैदराबाद-500029 ।	2-7-1998
28.	23251	श्री रविचन्द्रन आर०, एफ०सी०ए०, केयर आफ श्री० सी० के० हरीहरन, नं० 4, वीनादयालु स्ट्रीट, टी० नगर, चैन्नई-600017 ।	30-7-1998
29.	23414	श्री डेन्डुकुरी सरामुराम, एफ०सी०ए०, एच नं० 6-3-1186/ए/6 (न्यू नं० 325), 2 फ्लोर, चिन्ना बालारेड्डी बिल्डिंग, एडजामेंट लेन टू ग्रान्थ काकतिया होटल हैदराबाद-500016 ।	12-5-1998
30.	24052	श्री अब्दुल्ला मोहिदीन एम, ए०सी०ए०, 10870 नार्थ स्टेलिंग रोड, अपार्टमेंट 20-ई, कुपरटिनो कैलीफोर्निया, यू० एस० ए० ।	20-8-1998
31.	24113	श्री गनापति राव पी०, एफ०सी०ए०; नं० 87, नगर्जुना, रोड नं० 3, गगनमहल कोलोनी, हैदराबाद-500029 ।	15-4-1998
32.	24190	श्री प्रकाश के० एस०, एफ०सी०ए०, श्रीबालसम, इंदिरानगर, कलूर, कोची-682017 ।	24-4-1998
33.	24450	श्री नागाराजन बी, एफ०सी०ए०, फ्लैट 6,1 फ्लोर, 2-ए वेवाराजन स्ट्रीट, वेस्ट ताम्बरम, चैन्नई-600045 ।	10-6-1998
34.	24528	श्री साजू पीटर, एफ०सी०ए०, रीनियर एप्लीकेशन कंसल्टेंट, एनर्जी कंसल्टिंग ओराकल सिस्टमस लि०, पोस्ट बॉक्स 30330, आबू धाबी, यू० ए० ई० ।	30-6-1998
35.	24655	श्री मधु कृष्णा रेड्डी, एफ०सी०ए०, फ्लैट नं० डी-12, स्टील एण्ड माइंस कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर कोलोनी, हैदराबाद-500073 ।	1-7-1998
36.	25248	श्री मस्ती सोमेश्वरा राव, ए०सी०ए०, फाइनेंसियल कंट्रोलर, ट्रॉम कोन्टीनेंटल टोबाको इंडिया प्रा० लि०, 4-4-141/ए1, 7/2 चन्नामोली नगर, गुन्टूर-522007 ।	4-6-1998

1	2	3	4
37.	25536	श्री राजेन्द्रन आर०, एफ०सी०ए० ब्लॉक 361 बुकिट बटोक स्ट्रीट 31 08-451 बिगापोर-650361 ।	30-7-1998
38.	25610	श्री गोल्लापुडी विश्वेश्वर राव, एफ०सी०ए० अम्बल बिल्डिंग 2 फ्लोर 727 माउंट रोड चेन्नई-600006 ।	25-5-1998
39.	25674	श्री जोम एनोयमिस मैथ्यू, ए०सी०ए० 35/2805 काथिकाडावु रोड पलारीवट्टम पी० ओ० कोची-682025 ।	24-4-1998
40.	25704	श्री गणेश एम० एस०, एफ०सी०ए० 3बी फस्ट फ्लोर 16 मालविया एवेन्यू थिरुवानमियूर चेन्नई-600041 ।	17-7-1998
41.	25775	श्री गिरिधरन जी, ए०सी०ए० नं० 17 शर्मा स्ट्रीट गनापति पुरम ताम्बरम चेन्नई-600059 ।	14-5-1998
42.	25865	श्री सत्यानारायणा मूर्थी आर०, ए०सी०ए० मैनेजर (फाइनेंस) मिथानी कंचन बाग हैदराबाद-500058 ।	13-4-1998
43.	25902	श्री गोपीनाथ रेड्डी वार्ड, एफ०सी०ए० 13-38-1 एस० एस० कोम्प्लैक्स डी०सी०एम०एस० रोड कमला नगर, अनन्तापुरम-515001 ।	29-7-1998
44.	25915	श्री आतुल सुंद, ए०सी०ए० ईबी-184, माया एंक्लेव नई दिल्ली-110064 ।	9-6-1998
45.	25944	श्री बालाकृष्णा शम्भाराया के, एफ०सी०ए० 87 श्री ननजुनवेश्वर बिल्डिंग, 2 फ्लोर ॥ क्रास मालेश्वरम बंगलोर-560003 ।	8-12-1997
46.	25961	श्री रविन्द्रन पी०, एफ०सी०ए० सिस्टम ओ-ओरडिनेटर जाहेर ग्रुप आफ कम्पनीज पी० बी० 1178 जेड्डाह-21431, साऊदी अरेबिया ।	4-8-1998
47.	26289	श्री बन्नीनारायणामूर्थी एच० बी०, ए०सी०ए० 10-212 बसंथापुरी कल्काजगिरी हैदराबाद-500047 ।	16-6-1998

1	2	3	4
48.	26292	श्री नरासिम्हामूर्ती ए०, ए०सी०ए०, 1-10-243 अशोक नगर हैदराबाद-500020 ।	17-6-1998
49.	26470	श्री कृष्णा मनिकयम बी०, ए०सी०ए० डिप्टी मैनेजर फाइनेन्स इंडियन आयल कारपोरेशन लि० 139, महात्मा गांधी रोड, नन्नामक्कम चेन्नई-600034 ।	20-5-1998
50.	26633	श्री अनन्थाचारीयार पी० बी०, एफ०सी०ए०, नं० 13 सन्निधि स्ट्रीट कांचीपुरम-631503 ।	24-6-1998
51.	26639	श्री नारायणलाल श्याम एस०, एफ०सी०ए० 24-100 इंदिरा नगर कोलोनी लोक्कून्टा सिकन्दराबाद-500015 ।	8-5-1998
52.	26725	श्री रेगेश के०, ए०सी०ए० बी-16 री क्लासिक अपार्टमेंट्स बरोदा स्ट्रीट, वैस्ट मम्बालम चेन्नई-600033 ।	20-4-1998
53.	26985	श्री ब्राह्मन्ना पी०, ए०सी०ए० 301 साई किरण अपार्टमेंट्स 3-6-375 हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 ।	29-6-1998
54.	27134	श्री श्रीकान्थ पी० एस०, ए०सी०ए० फाइनेन्सियल एनालिस्ट एम० बी० पेट्रोलियम सर्विसिज एलएलसी, पी० ओ० बॉक्स 695, पी० सी० 114, बस्तायाह, सलतनत ओफ ओमान ।	4-5-1998
55.	27665	श्री विश्वानाथ कृष्णन एन० ए०, एफ०सी०ए०, 7, कृष्णाम्बासी स्ट्रीट, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018 ।	27-7-1998
56.	28114	श्री श्रीकान्थ एन, ए०सी०ए० 5/1 दमदारापुरम, 3 स्ट्रीट, अद्वार, चेन्नई-600020 ।	27-7-1998
57.	28161	श्री मैथ्यू वरधीज, ए०सी०ए० मैनेजिंग डायरेक्टर, आई/ई/एन माइक्रो सिस्टम्स लि० कन्नानकुलंगारा त्रिपुनीथुरा-682301 ।	2-7-1998
58.	28600	श्री चन्द्रासेकरन के०, ए०सी०ए० 25 वैद्यारामन स्ट्रीट, टी नगर चेन्नई-600017 ।	19-5-1998

1	2	3	4
59.	28637	श्री सेलवम के०, एफ०सी०ए० 6/11 लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, नाटारासन कोर्टई-630556 ।	3-4-1998
60.	28704	श्री श्रीधरन बी० जी०, ए०सी०ए० एसिसटेंट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बंगलोर बन्नरघट्टा रोड, बंगलोर-560076 ।	3-6-1998
61.	28771	श्री विश्वानाथ उमाशंकर त्रिवेदी, ए०सी०ए० एम०जी०डी० 324 मैकमास्टर यूनिवर्सिटी 1280 मेन स्ट्रीट डब्ल्यू हैमिल्टन ओन्टारियो एल 8 एस 4 एम 4 कनाडा ।	2-7-1998
62.	28798	श्री पार्थसारथी आर०, ए०सी०ए० मैनेजर फाइनेंस लीफिन इंडिया लि०, 7/17 एवेन्यू हैरिंगटन रोड, चेटपेट चेन्नई-600031 ।	28-4-1998
63.	29288	श्री सुनील कुमार बी, एफ०सी०ए० एच नं० 8-3-903/6, नागर्जुना नगर, अमीरपेट, हैदराबाद-500073 ।	18-5-1998
64.	29341	श्री जमालामाहदीन एम० ए०, ए०सी०ए० बजेट एकाउन्टेन्ट, मैकसफे सर्विसिज लि०, पी० ओ० बॉक्स 69428, रियाध 11547 साऊदी अरेबिया ।	6-4-1998
65.	29406	श्री श्रीनगेश रामाभोल्ला, ए०सी०ए० प्लॉट नं० 1, के० के० टावर्स ग्राउंड फ्लोर, यौसुफ गुडा, हैदराबाद-500045 ।	22-4-1998
66.	29707	श्री वेंकटा केसरी के०, ए०सी०ए० जी 1, शान्धी निलायाम अपार्टमेंट्स, लेन ओपोजिट स्वराज होटल, 1-1-192/2 चिक्काडपल्ली, हैदराबाद-500020 ।	27-5-1998
67.	29776	श्री गिरीधर मामिदी, ए०सी०ए० एच नं० 4-1-81/3 रामानीयम भक्षामी नगर नाचाराम हैदराबाद-501507 ।	12-5-1998
68.	38851	श्री शंकर कुप्पुस्वामी, ए०सी०ए० मैनेजर एफ० एण्ड ए० एण्ड कम्पनी सेक्रेटरी विपटो असेर लि०, नं० 88 एम०जी० रोड, बंगलोर-560094 ।	29-6-1998
69.	39185	श्री नरेन्द्रा सर्वोत्तम तेलंग, ए०सी०ए० डायरेक्टर फाइनेंस जीटीएम इंडिया आईएनसी इंडिया लैसन ऑफिस उलसूर, बंगलोर-560042 ।	11-6-1998

1	2	3	4
70.	48815	श्री जय प्रकाश एम० डी०, ए० सी० ए० मोदीयिल पठानमथिदटा डिस्ट०, धुमपमोन-689502 ।	4-8-1998
71.	56057	श्री इंद्राजीत बसु, ए० सी० ए० फाइनेन्स मैनेजर, श्री नजरंग जूट मिल्ल लि०, जी० टी० रोड, एलुरु-534002.	3-8-1998
72.	80143	श्री रघुनाथन के०, ए० सी० ए० फ्लैट नं० 107 श्रीराम अपार्टमेंट्स, 3-4-531, नारायणागुडा, हैदराबाद-500027.	24-11-1997
73.	89148	श्री रामा कृष्णा बी०, ए० सी० ए० एच० नं० 8, 2 फ्लोर शारदा कॉम्प्लेक्स, कल्याण नगर क्रॉस रोड्स, कल्याण नगर, हैदराबाद-500038 ।	15-7-1998
74.	200340	श्री रामन पी० के०, ए० सी० ए० सीनियर ऑडिटर, स्टेशनर्ड चार्टर्ड बैंक डी० बी० एल० बिल्डिंग, 7 फ्लोर, 108 डा० राधाकृष्णन मलाई, चेन्नई-600004 ।	15-6-1998
75.	200481	श्री श्रीकान्थ एस०, ए० सी० ए० मैनेजिंग कंसल्टेंट, कूपर्स एण्ड लीमिटेड प्रा० लि०, 508 बस्टोन सेंटर, 84 एम०जी० रोड, बंगलोर-560001 ।	20-7-1998
76.	201264	मिस लथा रामन, ए० सी० ए० 190 लॉग मीडो ड्राइव होलबुक, एमए-02343 यू० एस० ए० ।	22-4-1998
77.	201391	श्री अनिल रामाचन्द्रन, एफ० सी० ए० 13-जी अल्सा विन्डसोर 4 कोठारी रोड, नवगम्बकम, चेन्नई-600034 ।	15-7-1998
78.	201401	श्री महादेवन एन०, ए० सी० ए० हायपेरियन सोफ्टवेयर एशिया पी० टी० ई० लि०, 80 अंसल रोड, 24-01 आईबीएम टॉवर्स, सिंगापोर-79907 ।	3-4-1998
79.	201628	श्री नरसी रेड्डी पी०, ए० सी० ए० एकाउन्ट्स ऑफिसर, इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, ई० सी० आई० एल० पोस्ट, हैदराबाद-500062 ।	26-6-1998
80.	201913	श्री बेंकटेश्वर रेड्डी पी०, ए० सी० ए० एच० नं० 26/ए, संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद-500038 ।	12-8-1998

(1)	(2)	(3)	(4)
81.	202240	श्री विजया कुमार ए०, ए० सी० ए० फाइनेंशियल कन्ट्रोलर, पोलीकोर लि०, पो० आ० नोक्स 34903, सुमाका-10101 जाम्बिया ।	05-05-1998
82.	202611	श्री आनन्द के०, ए० सी० ए० नेशनवाइड फाइनेंस लि०, 1-सी० चैतन्या सेंटर, 12 खेदर नबाज खान रोड, चेन्नई-600006 ।	16-04-1998
83.	202891	श्री वेंकटेश के०, ए० सी० ए० केयर आफ के० पी० एम० सी० फायरो, पी० बी० 710 मनामा, बेहरेन ।	04-08-1998
84.	203104	मिस मन्जुला सुब्रामनियन, ए० सी० ए० मैनेजर फाइनेंस एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मैसर्स देसमेट चैम्फूद इंजीनियरिंग प्रा० लि०, 14 देसमेट हाऊस लैंगफोर्ड रोड, शान्ति नगर, बंगलोर-560025 ।	21-07-1998
85.	203179	श्री आनन्दा कुमार वी०, ए० सी० ए० एम०-17 डी० कृपा कालोनी 1 एबेन्यु, 44 स्ट्रीट अणोक नगर, चेन्नई-560083 ।	02-07-1998
86.	203665	मिस किरन दसोदर लड़ा, ए० सी० ए० मैसर्स लोडिक्स माइक्रो सिस्टम्स लि० 493/3 ब्राह्मालिंगेश्वरा कोम्प्लेक्स, एयर पोर्ट रोड बंगलोर-560008 ।	22-05-1998
87.	203705	श्री सतीश एन०, ए० सी० ए० एकाउन्ट्स ऑफिसर मैसर्स जिन्दा ट्रेकटेबेल पावर कं० लि० पो० ओ० नोक्स 9 बेलरी डिस्ट०, दोरानामल्लु-583123 ।	15-04-1998
88.	203837	श्री नागा भावतनारायना स्वामी ए०, सी० ए० डी० नं० 8-3-677/24/3 नबोदया कालोनी हैदराबाद-500073	28-07-1998
89.	204211	मिस राधा मोहन, ए० सी० ए० 27/1/10/1 कृपा कोम्प्लेक्स साफिलगुडा नरेडमेट, सिकन्दराबाद-500053 ।	08-05-1998
90.	204266	श्री नायडु नागेश्वरा राय, ए० सी० ए० डी० नं० 6-3-668/17 प्लॉट नं० 102, क्लासिक एंक्लेव, पंजागुट्टा हैदराबाद-500082 ।	18-06-1998

(1)	(2)	(3)	(4)
91.	204550	श्री श्रीनाथदु एम०, ए० सी० ए० 30-265, सुधानगर कोलोनी, ओल्ड साफलगुडा वी० वी० एच० एस० कलकाजगिरी, हैदराबाद-500056 ।	24-07-1998
92.	204684	मिसेज कल्पना जयाशंकर, ए० सी० ए०, 1 ए० "रीबीरा" प्लॉट नं० 7/ 4 सी० वार्ड, रोड, बालमिकी नगर, थिरुवानमियूर चेन्नई-600041 ।	23-06-1998
93.	204731	मिस सुब्बालक्ष्मी, वी० ए० सी० ए०; 9 मनी विल्ला, 101 बन्नीयर स्ट्रीट, धूलईमेडू, चेन्नई-600094 ।	28-04-1998
94.	205285	श्री लालातेन्दु मिश्रा, ए० सी० ए०, 107/एच०, आचार्या विहार, भुवनेश्वर 751013 ।	07-04-1998

अशोक हल्लिया
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1999

सं० बी०-33(13)-14/94-स्था०-4--क० र० बी० (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित
क० रा० बी० अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष भारत के
राजपत्र के भाग 3 खंड-4 में दिनांक 27-12-97 को प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अधिसूचना सं० बी०-33 (13)-14/
94-स्था० 4; दिनांक 30-11-97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अधिसूचना की क्रम सं० 8 की प्रावधानों के समक्ष निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँ, अर्थात्:--

श्री विजयशंकर शर्मा, सचिव,
राजस्थान नियोजक एसोसिएशन,
599, आचार्य कृपलानी मार्ग,
आदर्श नगर, जयपुर।
(नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि)

विनेश गुप्ता
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1999

सं० यू०-16/53/1/97-चिकित्सा-2 (तमिलनाडू):--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम
105 के तहत महा निदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल,
1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महा निदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियाँ भाग
मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष

के लिए ये पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशीके कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व ही, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा निर्धारित निम्न-लिखित क्षेत्र के लिये गोम तुल्य वाक्चिन्तियों की परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता सुनिश्चित होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रयोजन के लिये चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

क्रम सं० डाक्टर का नाम	अवधि	क्षेत्र का नाम
1. डा० सी० प्रेमावधी	1-4-99 से 31-3-2000 तक	बैल्लूर

डा० (श्रीमती) एन० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 28 जनवरी 1999

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (4)2/98-99:—वार्डें प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वार्डें प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय वार्डें प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	000967	श्री जोगपुर कृष्णा भीमाराव, के० बी० जोगपुर एण्ड कं., कमिश्नरट बिल्डिंग, 3ग मजला, डी० एन० रोड, मुम्बई-400001।	16-05-97
2.	001153	श्री गिडवानी नार्सीक मोट्टमल, गिडवानी एण्ड कं., 2 ए, पुष्प विहार ब्लॉक-2, कोलाबा, मुम्बई-400005।	28-06-98
3.	001789	श्री फडके रामचन्द्र शंकर, आर० एम० फडके, एण्ड कं., बम्बई मुख्य चौक, 5 वां मजला, 19/21, अम्बालाल दोषी मार्ग, हुताश्रम चौक, मुम्बई-400023।	24-05-98
4.	002037	श्री खांडवाला विनु मंगलदास, वी० एम० खांडवाला एण्ड कं., सोहराब बिल्डिंग, 1ला मजला, एडवर्ड थियेटर के सामने, 505, कालवादेवी, रोड, मुम्बई-400002।	14-04-98
5.	002216	श्री टिटीना नौशिर रुस्तमजी, अर्बोक अपार्टमेंट्स 'अ' फ्लैट नं० 3, स्ट्रण्ड स्तिमा के पास, 6 वां मजला, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, मुम्बई-400005	15-06-98

1	2	3	4
6.	002501	श्री कटपिटीया इरेक धनजीशा, ई० डी० कटपिटीया एण्ड कं., यूनियन कोआपरेटिव इन्सुरन्स बिल्डिंग, रूम नं० 6, 1ला मजला, सर पी० एम० रोड, मुम्बई-400001 ।	17-08-98
7.	002546	श्री शाह कृष्णा लाल रणछोड़लाल, वकील शाह एण्ड कं., 25, उदयपार्क, जेतलपुर रोड, बडोवरा-390005 ।	20-02-98
8.	002621	श्री खांडेकर भरवचन्द्र शंकर, एम० एम० खांडेकर एण्ड कं., मोनालिशा काम्प्लेक्स, साजापेट पोलीस स्टेशन के सामने, बडोवरा रोड, अमरावती-444601	12-02-98
9.	003284	श्री धूर्त डबलपूजी कमांडर शरद मोरेडवर, 19/165/2, श्रीनिवास नगर, पिपरी, पुणे-41 1018 ।	02-08-97
10.	003382	श्री नेरकर विजय बसंत, यूनियनस एन्सुरन्स बिल्डिंग, फिरोजशाह मेहता रोड, मुम्बई-400001 ।	30-01-98
11.	003402	श्री दोशी चम्पकलाल डालीचम्ब, फ्लॉट नं० 2141 डी, बाछावाड़ी ब्रेक रोड, भावनगर-364002 ।	21-07-96
12.	004713	श्री बनकावला रजनीकान्त लल्लूभाई, रजनी एल० बनकावला एण्ड कं., अजन्ता ब्लॉक 34, 3रा मजला, 3रा रास्ता, खार रोड (पश्चिम) मुम्बई-400052 ।	13-10-98
13.	011305	श्री शाह किर्ती बाबू रमनलाल, किर्ती शाह एण्ड कं., 17 गोपाल विजय को-ऑप० सोसायटी, 4 वा मजला, एम० जी० क्रॉस रोड नं० 3, कांदिवली (प) मुम्बई-400067 ।	28-07-98
14.	012369	श्री मजूमदार अरुण विश्वनाथ, 50-51, अली चैम्बर्स, तामरीव सेन, फोर्ट, मुम्बई-400001 ।	04-02-98
15.	012492	श्री सुमिल मुल्कराज अगरवाल, मित्र कुंज, जसलोक हॉस्पिटल के सामने, 16, पेडर रोड, मुम्बई-400026 ।	03-12-97

1	2	3	4
16	012635	श्री खासीआ कृष्णा कुमार अर्जुन, 210, प्रेम कुटीर, बम्बई पुणा रोड, कलवा-प., ठाणे-400605	01-04-98
17.	016292	श्री पटेल अश्विन हरीलाल, 51, जुठीका, 22 नोशिर भरुचा रोड, मुम्बई-400007।	25-11-97
18.	017961	श्री शाह चन्द्रकान्त काँसीलाल छाग पाहवा एण्ड शाह, 164, शिवशक्ति इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मितल इस्टेट के सामने, मरोल नाका अन्धेरी (पू०) मुम्बई-400059।	15-11-98
19.	038517	श्री के० बालामुश्रामनीअन, 1/5 चन्द्रलोक अपार्टमेंट्स, गोखले नगर रोड, पुणे-411016।	21-04-98
20.	048150	श्री शाह हेटल नवनीलाल, ए 11, नीरव फ्लेट्स, शांतीवन बस स्टाप के पास, नारायण नगर रोड, पालदी, अहमदाबाद-380007।	09-04-98
21.	070429	श्री ननवानी कन्हैयालाल, 305, गोविंदा टावर, वांद्रा-पू०, मुम्बई-400051।	05-08-98
22.	101671	श्री गदा राकेश कुशलचन्द, 2/54, हबीब मेन्शन, 828, बी० जे० मार्ग, मुम्बई-400011।	02-09-98

अणोक हल्लिया,
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND
DEVELOPMENT

WORLD TRADE CENTRE, CENTRE I
CUFFE PARADE, COLABA

Mumbai-400 005, the 22nd May 1999

No. DBOD. IBS. 2823/23.13.089/98-99.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :

“The Commercial Bank of Korea Ltd.”.

KHIZER AHMED
Executive Director

No. DBOD. IBS. 2824/23.13.089/98-99.—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that The Commercial Bank of Korea Ltd. has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

KHIZER AHMED
Executive Director

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 21st May 1999

SBD No. 5/1999.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has in consultation with Reserve Bank of India nominated Dr. J. D.

Agarwal, B 3/83, Ashok Vihar II, Delhi, as a director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 1st June 1999 to 31st May 2002 (both days inclusive) in place of Prof. Karam Singh.

G. G. VAIDYA, Chairman

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

HEAD OFFICE : THIRUVANANTHAPURAM

Thiruvananthapuram, the 31st May 1999

The Thirtiyninth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Travancore will be held in the A. K. G. Memorial Hall, Gas House Junction, Palayam, Thiruvananthapuram-695 034, on Wednesday the 7th July 1999 at 11.30 a.m. (Standard Time) to transact the following business :

"To receive the Report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made upto the 31st March, 1999 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

VEPA KAMESAM
Managing Director

BANK OF INDIA GENERAL REGULATIONS, 1999

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely :

CHAPTER-1

INTRODUCTORY

1. Short title and commencement —

(i) These Regulations may be called Bank of India General Regulations, 1999.

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions —

In these Regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof —

- (a) 'Act' means the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);
- (b) "Bank" means Bank of India constituted under Sec. 3 of the Act;
- (c) "Board" means the Board of Directors constituted under Section 9 of the Act;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;
- (f) "Executive Director" means the wholtime Director, not being the Managing Director;
- (g) "General Manager" means General Manager of the Bank;
- (h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;
- (i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;
- (j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under Sub-Sec. (2G) of Sec. 3 of the Act;

(k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for —

- (i) collecting application from investors in respect of a issue;
- (ii) keeping a proper record of application and monies received from investors or paid to the seller of the securities; and
- (iii) assisting the Bank in —
 - (a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange;
 - (b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities;
 - (c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of the issue, and
- (iv) such other function as assigned from time to time by the Bank.

(l) "Scheme" mean the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank.

(n) "Share transfer agent" includes —

- (i) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or
- (ii) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause(i).

(o) Words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these Regulations but used in the Act or the Scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme;

CHAPTER II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares —

The shares of the Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these Regulations.

4. Kinds of share capital

(i) Preference Share Capital means that part of share capital of the Bank which fulfills both the following conditions :—

- (A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and
- (B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up or repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :—

- (a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A), upto the date of winding up or repayment of capital, and
- (b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(ii) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(iii) The expressions "Preference Share" and "Equity Share" shall be constructed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(i) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act.

(ii) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of Section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the Proviso of sub-section 2(D) of Sec. 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these Regulations.

(v) No Notice of any trust, express, implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. Control over shares and registers.

Subject to the provisions of the Act and these Regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the Head Office of the Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. Parties who may not be registered as shareholders.

(i) Except as otherwise provided by these Regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. Maintenance of share register in computer system, etc.

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section, 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing Director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec. 3 (B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the Electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. Safeguards for protection of computer system.

(i) The access to the system set out in Regulation 8 (i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and/or the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/persons designated in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders.

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register.

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to such reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charge or if he requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register.

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspapers circulating in India, close the register of shareholders for any period or periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates.

(i) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(ii) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(iii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (ii) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates.

(i) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(ii) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the Bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or Committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee think fit, and on publication in two newspapers and on payment to the Bank of its costs, charges and expenses a duplicate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case may be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share register in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under Regulation No. 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers

The Board or the committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of share :—

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other ground :—

(a) the transfer of shares is in contravention of the Act or Regulation made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest,

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage, being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i)(c) above may be exercised by the committee designated by the Board in this behalf.

- (ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation(i)—
- (a) If it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect registration; and
- (b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i) intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.
20. Transmission of share in the event of death, insolvency, etc.
- (i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by the Bank as having any title to such share
- (ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survive or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of probate or letters of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by the Bank as having a title to such share.
- (iii) The Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.
- Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.
- (iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right—
- (a) to be registered as a shareholder in respect of such share.
- (b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration—

It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. Calls on shares—

The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. Calls to date from resolution—

A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. Notice of call—

A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. Extension of time for payment of call—

The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholder having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. Liabilities of joint holders —

The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls:

If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. When interest on call or instalment payable:

If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. Non-payment of calls by shareholder:

No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. Notice on non-payment of call or instalment

If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the share by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

31. Notice of Forfeiture

The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other moneys and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. Shares to be forfeited on default

If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for nonpayment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. Entry of forfeiture in the register

When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. Forfeited shares to be property of the Bank and may be sold

Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallocated or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. Power to annul forfeiture

The Board may, at any time, before any share so forfeited under Regulation 32 shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interests

Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgement nor a decree in favour of the Bank for calls or other moneys due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Bank of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Bank in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these Regulations.

38. Forfeiture of share extinguishes all claims against bank

The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited.

Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding Regulations, the originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null & void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. Application of forfeiture provisions

The provisions of these Regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. Lien on shares

(i) The Bank shall have a first and paramount lien :—

- (a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;
- (b) on all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank
- (c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provision of this clause.

- (i) The Bank's lien, if any, on a share extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares :

- (i) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the Company has a lien
- (a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and
- (b) after the expiration of fourteen days after notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.
- (ii) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares :

The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture :

A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share :

The Bank may receive the consideration, if any given for the share on any sale, reallocation or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, reallocated or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallocation or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders :

- (i) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.
- (ii) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice.

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post

with or without acknowledgment due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(iii) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder of the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(iv) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares

(v) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(vi) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

CHAPTER III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depositor and the Bank:

The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository

(i) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(ii) Any shareholder of the Bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security :

(i) Any shareholder or holder of any security of the Bank who has entered into an agreement under Regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the Bank.

(ii) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (i) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.

(iii) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (ii) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (i) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository :

Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository :

(i) Every person subscribing to securities offered by the Bank shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(ii) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form :

All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner :

The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Owner :

(i) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the Bank held by the Depository.

(ii) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owners maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities :

(i) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(ii) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (i) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(iii) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfilment of such conditions and on payments of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Regulations 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue

a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual General Meeting :

(i) A Notice convening an Annual General Meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of the Bank shall be published, at least twenty one clear days before the meeting and in not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(ii) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting, and also the business that shall be transacted at that meeting.

(iii) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at place of Head Office of the Bank.

57. Extraordinary General Meeting :

(i) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all to shareholders.

(ii) The requisition referred in sub-regulation (i) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more the requisitionists.

(iii) Where two or more persons hold any shares jointly the requisition or a notice calling a meeting, signed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(iv) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board.

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not less than 45 days of the receipt of the requisition.

(v) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (i), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (iv) the meeting may be called by the requisitionists themselves within three months from the date of the requisition.

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-Regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting—

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of at least five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called.

Provided that no Annual General Meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such Annual General Meeting shall be held in terms of section 10A (1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the Annual General Meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting—

(i) The Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation to a particular meeting be authorised by the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the Chairman of the meeting and if the Chairman and Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other Director present to be the Chairman of the meeting.

(ii) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meetings -

(i) All directors and all shareholders of the Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

(ii) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the pur-

pose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the Chairman containing particulars relating to—

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meetings

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on a question of adjournment or at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings—

(i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

(i) A director under clause (i) of sub-section (3) or Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

(ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

(i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (1) of Regulation 55 of these Regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding 100 shares in the Bank.

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme,

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing, signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these Regulations from being a director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

(i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations, and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

(i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights—

(i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation—For this Chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative—

(i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these Regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.

(ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies—

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Bank.

No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of

attorney or the other authority is previously deposited and registered with the bank.

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

For BANK OF INDIA

Sd/- ILLEGIBLE

General Manager (Law)

BANK OF INDIA

FORM 'A'

SHARE TRANSFER FORM

(See sub-regulation (i) of regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesaid.

Full Name of Company

Name of the recognised :
Stock Exchange, where
dealt in if any :

Description of Equity shares

No. in figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)
Distinctive numbers	From To		

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)]

Particulars

Name in full

Regd.

Folio No.

Signature(s)

1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
4. _____	4. _____

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

Signature of Witness

Name and address of witness

PIN

Transferee(s)

Name(s) in full

[Buyer(s)] Particulars

Signature(s)

1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____

Occupation

Address

Father's/Husband's Name

1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of names Value of Stamps affixed Rs.

Dated this day of One Thousand Nine Hundred Place

For office use only Checked by Signatures tallied by Folio Company Code Specimen Signature(s) of Transferee(s)

Entered in Register of Transfer No. Approval Date Instruction for attestation ;

Attestation, where required (thumb impressions, marks, signature impressions etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor's Bank.

NOTE: Names must be rubber stamped preferably in a straightline. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Number should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering broker or Clearing Member Date POWER OF ATTORNEY/PROBATE/DEATH CERTIFICATE LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company No. Date

(Signature (not initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House)

LODGED BY : FULL ADDRESS :

SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO : (Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned) Name & Address :


Share Transfer Stamps

BANK OF INDIA FORM 'B' FORM OF PROXY (See sub-regulation (ii) of Regulation 70)

Folio No. (To be filled in by the shareholder)

I/We, resident of in the State of in the district of being a shareholder/shareholders of Bank of India hereby appoint Shri resident of in the District of in the State of or failing him, Shri resident of in the State of as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the shareholders of Bank of India to be held on the day of 19, and at any adjournment thereof.

Signed this day of 19 Name : Address :



VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, 41/2, M. G. ROAD,

Bangalore-1, the 4th May 1999

No. PER /EST/2282/99.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. These Regulations may be called Vijaya Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1998
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

11. In the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 for Regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely :—

"38—Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination for any reason whatsoever :

Provided that where an officer retires from the bank's service in terms of Reg. 19 of these Regulations OR seeks voluntary retirement on or after 1st Nov. 1993 in terms of Vijaya Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated;

Provided further that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives and which would have been payable for the period not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death :

Sd/- ILLEGIBLE
GENERAL MANAGER (PER.)

THE INSTITUTE OF
COST & WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

12, SUDDER STREET

Calcutta-700 016, the 1st June 1999

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 39, read with sub-section (3) of that Section of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval from the Central Government, makes the following amendment to the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :

In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, Regulation 21 shall be read as follows :

21. Registration Fee—Every person applying for registration shall pay the student registration fee of Rs. 300/—.

[The above Regulation shall come into force on and from 1st June, 1999].

UDAYAN RAY
Secretary

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE,

New Delhi-110066, the 10th May 1999

No. CPFC-1(4)/DL(1699)/99/720—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	DL/16804	M/s. Indo Mobil Ltd., Suite No.405, 408, 4th Floor, Paharpur Business Centre, 21-22, Nehru Place, New Delh-110019.	01-01-1995
2.	DL/17726	M/s. Li & Fung India Pvt. Ltd., 8, Balaji Estate, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.	01-04-1996
3.	DL/18963	M/s. Shiva Builders, 23/3, Industrial Area, Anand Parbat, New Delhi-110005.	01-01-1997
4.	DL/18988	M/s Sacred Constructions Pvt. Ltd., AC-1 141-B, Shallmar Bagh, Delhi-110052.	01-01-1997

1	2	3	4
5.	DL/19015	M/s. Vidyamandir Classes Pvt. Ltd., 12/37, Lower Ground, Punjabi Bagh (W), New Delhi-110026.	01-07-1997
6.	DL/19032	M/s. Kadimi International Pvt. Ltd., Kashi House, 7-A, Connaught Place, New Delhi-110001.	01-06-1997
7.	DL/19051	M/s. Northern Institute for Integrated Learning in Management, B-11/66, Sher Shah Suri Marg, Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044.	01-04-1997
8.	DL/19056	M/s. Prabha Constructions, 81, Priya Enclave, Delhi-110092.	01-04-1997
9.	DL/19065	M/s. Elbee Engineering Services, 1/5289-A, Gali No. 10, Balbir Nagar, Shahdara, Delhi-110032.	01-01-1997
10.	DL/19066	M/s. Supertech Constructions Pvt. Ltd., 525/2, Wazirabad Road, Meet Nagar, (Near Rly. Crossing), Delhi-110094.	01-01-1996
11.	DL/19067	M/s. Power Point, A-60/10, Shop No. 44, Sarpanch Market, New Ashok Nagar, Delhi-110096.	01-04-1997
12.	DL/19070	M/s. Nimbe Security Services Pvt. Ltd., C-1/77, Krishan Vihar, Delhi-110041.	01-05-1997
13.	DL/19090	M/s. S.K. Security Services, C-54, M.B. Road, Khanpur, New Delhi-110062.	01-04-1996
14.	DL/19098	M/s. The Sugar Technologist Association of India, 21, Community Centre, East of Kailsah, New Delhi-110065.	01-07-1997
15.	DL/19099	M/s. Personnel Aid, A-11/3, Vasant Vihar, New Delhi-110057.	01-08-1996
16.	DL/19106	M/s. Innovative Textiles Pvt. Ltd., 807, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.	01-07-1997
17.	DL/19119	M/s. Menarini Raunag Pharma Ltd., Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001.	01-03-1997
18.	DL/19124	M/s. Japan Travel Services, N-42, Connaught Circus, Connaught Place, New Delhi-110001.	01-07-1996
19.	DL/19148	M/s. Bagai Construction Pvt. Ltd., 16-A, Room No. 105, Udai Park, Masjid Moth, New Delhi-110049.	05-04-1997
20.	DL/19188	M/s. Pioneer Corporation, 3344, Pusa Gate, South Patel Nagar, New Delhi-110008.	01-11-1997
21.	DL/19191	M/s. Indian School of Finance and Management Pvt. Ltd., Hamdard Convention Centre, Hamdard Nagar, (Near G.K. II), New Delhi-110062.	24-06-1997
22.	DL/19206	M/s. Butter Worths India, C-71-A, Malviya Nagar, New Delhi-110017.	01-06-1997
23.	DL/19207	M/s. Ganga Ram & Sons B-2nd/282 Sector-3, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062.	01-01-1996
24.	DL/19208	M/s. S&S Ecotech Engineers Pvt. Ltd., 304, Dohil Chambers, 46, Nehru Place, New Delhi-110019.	01-09-1997

1	2	3	4
25.	DL/19215	M/s. Multiply, 54, Arjun Nagar, Kotla Mubarkpur, New Delhi-110003.	01-10-1997
26.	DL/19218	M/s. Northern Telecom Ltd., A-8, Qutab, Institutional Area, U.S.O. Road, New Delhi-110067.	01-03-1996
27.	DL/19261	M/s. Suvidha Sign Studios Pvt. Ltd., 92/3, Block-2, Kirti Nagar, New Delhi-110015.	01-04-1997
28.	DL/19264	M/s. Humataj International, 485/6, Zeenat Bari, Hamilton Road, Kashmiri Gate, Delhi-110006.	01-08-1997
29.	DL/19265	M/s Aadhunic Technology Pvt Ltd; 102-B, M. C. Bhawan, 11/56, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.	1-10-1997
30.	DL/19267	M/s W K H India Pvt Ltd; D-55, East of Kallash, New Delhi-110065	1-6-1997
31.	DL/19282	M/s Winrock International, 7, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057	1-4-1997
32.	DL/19322	M/s Ghanshyam Lal Goama, 270, Janta Flat, Nand Nagri, Delhi-110093	22-5-1995
33.	DL/19328	M/s Khubsoorat Beauty Parlours, C-26, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110065	1-10-1997
34.	DL/19332	M/s Anapurna Cargo Movers Pvt Ltd; G-151, Kalkaji, New Delhi-110019	1-4-1997
35.	DL/19365	M/s U P Airways Ltd; A-2, Defence Colony, New Delhi-110024 -	1-10-1997
36.	DL/19366	M/s Bhardwaj Automobiles (Regd), 83/2, Adhchini, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110017	13-10-1997
37.	DL/19368	M/s Chennai Power Generation Ltd; J-66, 1st Floor, South Extension Part-I, New Delhi-110049	1-3-1997
38.	DL/19393	M/s E D Galgotia & Sons, 17-B, Connaught Place, New Delhi-110001	1-6-1997
39.	DL/19400	M/s Sri Sringeri Sharada Institute of Management, Shankara Vidya Kendra, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057	1-1-1997
40.	DL/19411	M/s A P J R Consultancy Services Pvt. Ltd; C-4/5, Safdarjang Development Area, New Delhi-110016	1-10-1996
41.	DL/19413	M/s Kedia Power Ltd; J-66, 2nd Floor, South Extension Part-I, New Delhi-110049	1-3-1997
42.	DL/19459	M/s Secur World, F-3/631, Beer Bazar, Devli High School Road, Sangam Vihar, New Delhi-110062	1-4-1996
43.	DL/19463	M/s Super Housekeeping & Security Services, 122-A/21, Gautam Nagar, New Delhi-110049	1-10-1996

1	2	3	4
44.	DL/19464	M/s Ram Niwas, Building Contractor, 6/318, Dakshin Puri Extension, New Delhi-110062	1-5-1995
45.	DL/19504	M/s Investigation & Security Systems, 221, Defence Colony Flyover, Jungpura Side, New Delhi-110024	1-1-1996
46.	DL/19513	M/s Kushwah Security Services, A-118, Panchsheel Vihar, Behind Malviya Nagar P S, New Delhi-110017	1-2-1997
47.	DL/19517	M/s Emkay Trading Co; A-46, Babu Park, Kotla Mubarakpur, New Delhi-110003	1-8-1997
48.	DL/19782	M/s Mayar Securities Pvt Ltd; Mayar House, 2/16, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002	1-4-1997
49.	DL/19813	M/s Delhi Wakf Board, 5028, Darya Ganj, New Delhi-110002	1-11-1997
50.	DL/19886	M/s K G Technical Services, 120, L I G Flats Complex, Suraj Kund Road, Pul Prahladpur, Badarpur, New Delhi-110044	1-10-1997
51.	DL/19895	M/s Synergy Softwars Ltd; C-99, IInd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024	1-4-1997
52.	DL/19901	M/s Magic Gifts & Stationery Pvt Ltd; 9/54, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-110015	1-7-1997
53.	DL/19921	M/s Snowy Mountains Engineering Corporation Ltd; 205, Golf Links, New Delhi-110003	1-12-1997
54.	DL/19926	M/s B S Electrical & Refrigeration, R-302/19, Swantantar Nagar, Narela, Delhi-110040	1-7-1997
55.	DL/19950	M/s Art India, 121-A, Shanker Nagar, Delhi-110051	1-11-1997
56.	DL/19972	M/s A T Kearney Ltd; Taj Mahal Hotel, Suite No. 1001, 1, Man Singh Road, New Delhi-110011	1-6-1997
57.	DL/20006	M/s State Bank of India Employees Association Co-operative Thrift & Credit Society Ltd; Gali No 19, Ranjit Nagar, New Delhi-110008	1-4-1997
58.	DL/20024	M/s V K Cargo Agency, UG-22, Som Dutt Chambers-II, 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066	1-12-1997
59.	DL/20027	M/s Pharmachem Exports, 524, Ansal Chambers-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066	1-12-1997
60.	DL/20068	M/s Polhora Construction Co; A-62, Aya Nagar, Ext Phase-V New Delhi-110047	1-5-1995

1	2	3	4	5
61.	DL/20084	M/s Vishnu Exim Overseas Pvt Ltd S-533, Greater Kailash-II, New Delhi-110048		1-1-1998
62.	DL/20089	M/s The Broken Hill Proprietary Co Ltd; 4th Floor, World Trade Tower, Barakhamba Lane, Connaught Circus, New Delhi-110001		1-12-1997
63.	DL/20102	M/s G E C Alstom Power Generation India Ltd; 2, Palam Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057		1-11-1997
64.	DL/20125	M/s Lahmeyer International (India) Pvt Ltd; 305, Dohil Chambers, 46, Nehru Place, New Delhi-110019		1-1-1998
65.	DL/20140	M/s Rai Industrial Power Pvt Ltd; 302-303, Competent House, F-14, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001		1-9-1997
66.	DL/20146	M/s Compact Systems Pvt Ltd; C-61/2, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave Ext; New Delhi-110029		1-2-1998

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner (Hq)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 14th May 1999

No. V-33(13)-4/91-Estt.IV—In pursuance of Section -25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Delhi State which shall consist of the following members, namely :—

1. Minister for Labour, Govt. of Delhi.	Chairman	7. Shri Heera Lal Sharma, President, INTUC (Delhi), RZ-29, Rashan Garden, Nazafgarh, New Delhi-110043.	Employees Representative
2. Labour Commissioner, Govt. of Delhi.	Vice-Chairman	8. Shri Rajendra Singh Chauhan BMS (Delhi State), 194, Vivekanand Puri, Azad Marg, Delhi 7.	Employees' Addl. Representative
3. Jt. Labour Commissioner, Govt. of Delhi.	Member	9. Shri Yogesh Kumar Sharma, 668, Kabul Nagar, Shahdara, Delhi-32.	Do.
4. Director (Medical) Delhi, ESI Scheme, Delhi.	Member	10. Shri Vineet Virmani, Managing Director, S. P. Virmani & Sons, P. Ltd., New Delhi.	Ex-Officio- Member
5. Regional Dy. Medical Commissioner, ESI Corporation, North Zone, Delhi.	Member	11. Shri S. C. Gani, Chief Manager (P&A), Hindustan Prefeb Ltd., Jangpura, New Delhi.	Ex-officio-Member
6. Shri Seva Singh Arora General Secretary, Manufacturers' Association G. T. Karnal Road, Delhi.	Employers' Representative	12. Shri R. K. Somany, Chairman & Mg. Director, Hindustan Sanitary Ware & Industries Ltd., 601-603, Padma Tower-II 22, Rajendra Place, New Delhi-8.	Ex-officio-Member

13. Shri Michael Dias, Secretary General, The Employers Association, 13/16, W. E. A. Karol Bagh, New Delhi.	Ex-officio-Member	9. Shri Maheshchandra A. Shah, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, P. B. No. 4045, Ashram Road, Ahmedabad-380009.	Member
14. Shri M. K. Garg, 66-B, Pocket 'C' Gangotri Enclave, Alaknanda (SFS) Kalkaji New Delhi-19.	Ex-officio- Member	10. Shri Jayantilal H. Parikh, General Secretary, All Gujarat Industrial & Commercial Establishments, Owner's Association, New Sarda Mandir, Ahmedabad-7.	Member
15. Shri P. K. A. Narayanan, Chief General Manager(Pers.), National Textile Corpn. Ltd. Scope Complex Core-IV 7-Lodhi Road, New Delhi-3.	Ex-officio- Member	11. Shri Deepak Kumar R. Dave, Secretary, Gujarat, Industrial Employers Association, 10/B, Sureshwari Society, Naranpura Village, Behind Bus Stop, Ahmedabad-380013.	Member
16. Shri Ram Prakash Mishra, Ram Naresh Bhavan, Tilak Gali Paharganj Delhi.	Ex-officio- Member	12. Regional Director, E.S.I.C., Ahmedabad.	Member- Secretary
17. Regional Director, E.S.I., Corporation, Delhi.	Member/Secretary		

D. C. GUPTA
Director General

D. C. GUPTA,
Director General

No. V-33(13)-5/95-Est.IV—In pursuance of Section-25 of the ESI Act 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board Gujarat State which shall consist of the following members namely :

1. Hon. Minister (Labour & Employment)	Chairman
2. Secretary, Labour & Employment Deptt., Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Gandhinagar.	Member
3. The Principal Secretary, Health & Family Welfare Deptt., Govt. of Gujarat Sachivalaya,, Gandhinagar.	Member
4. Labour Commissioner, Gujarat State, Ahmedabad.	Member
5. Dy. Medical Commissioner, E.S.I.C, Ahmedabad.	Member
6. Shri Manilal G. Parmar, Secretary, National Labour Organisation Gandhi Majur Sevalaya, Bhadra, Ahmedabad-380020.	Member
7. Smt. Geetaben Thakur, Vice-President of B.M.S., 27, Raj Ratna Soc., Near Pavapuri Bus Stop, Janta Nagar Road, Ghatlodia, Kannavati-380061.	Member
8. Shri Deepakbhai Pandya Bhartiya Majdoor Sangh., Ahmedabad.	Member

The Institute of Chartered Accountants of India
(Chartered Accountant)

No. 3SCA (5)/ 5/97-98.—With reference to this Institute's Notification No. 3 SCA (4)/3/97-98 dated 31-03-1998, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 8th December 1997, the names of the following persons :

Sl. No.	M. No.	Member Name & Address
1	2	3
1.	066253	Mr. Rao M.V., ACA 190 Rashmi Villa, C.J. Venkatesh- das Road, BSK II Stage, Padmanabha Nagar Bangalore-560070
2.	011929	Mr. Vijayaraghavan P., FCA 22, Bakthavatchalam Street, Near Don Boss School, Pondicherry-605008
3.	013219	Mr. Subramanian N., FCA No. 5 New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034
4.	018004	Mr. Satish Kumar S, ACA 56, 3rd Main Road Annamalaiapuram, Chennai-600028
5.	018218	Mr. Daniel P.T., FCA General Manager/Chief Executive, Nico Corporate Finance Ltd., P.O. Box 1396 Blantyre, Malawi

1	2	3	1	2	3
6.	018880	Mr. Rama Murthy S.L., FCA 10, IIIrd Floor, Kurubarasangha, Silver Jubilee Building, Gandhi Nagar, Bangalore-560009.	21.	024758	Mr. Venkateswaran V., ACA 1/45 Nehru Nagar, Madurai-625018
7.	018905	Mr. Krishna A.G., FCA Flat No. 8, 6 I Crescent Park Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai-600020.	22.	024986	Mr. Nagaraja B.N., ACA Post Box No. 20613 Nairobi, Kenya
8.	019092	Mr. Satyanarayana Ch., ACA Chief Manager, Andhra Bank, 5, Kanniammao Koil Street Shenny Nagar, Chennai-600030	23.	025635	Mr. Jayaram Gopal Bhatta, ACA 652/B II Floor 80 Feet Road, 2nd Stage Rajajinagar, Bangalore-560010
9.	020159	Mr. Krishna Prasad S, FCA 2287, 9th Main, D Block, II Stage Rajajinagar, Bangalore-560010	24.	025944	Mr. Balakrishna Shabaraya K, FCA 87 Sri Nanjundeshwara Buildings, II Floor, 11th Cross, Malleshwaram, Bangalore-560003
10.	020603	Mr. Raghu Veeran T.J., FCA 20 Bharathidasan Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore-641045	25.	026020	Mr. Prasada Rao G.B.G. ACA Pharmanova Zambia Limited, 3283, Mushili Road, Ndola, Post Box 71555 Zambia
11.	020727	Mr Jayakumar S., ACA Kirloskar Batteries Ltd., P.B. No. 2231, Yeshwantpur, Bangalore-560022	26.	026270	Mr. Gunasekaran P., ACA Site No. 97 P.M.R. Layout, Coimbatore-641014
12.	021463	Mr. Rambabu A., FCA Flat No. 202 Priya Apartments 'A' Block, 38/39, Madhura Nagar, Hyderabad-500038	27.	026548	Mr. Prasad G.V.L., FCA 105 Ist Block, I Floor Divyasakti Complex, Ameerpet, Hyderabad-500016
13.	021489	Mr. Padmanabhan C.K., FCA K.V.R. (K.S.) Complex (Upstairs), Bye Pass Road, Dharmapuri- 636701	28.	026899	Mr. Ramachandra Murthy C.V., FCA Flat 6No. 1, Srinivasa Apartments, Behind Somajiguda P.O. Rajbhavan Road, Hyderabad-500008.
14.	021656	Mr. Reddy B.M., FCA 178 Upstairs, 10th Cross Sampige Road, Malleshwaram, Bangalore-560003	29.	027127	Mr. Chenchu Mohan, A, ACA Plot No. 14, Salarjung Colony, Hyderabad-500008
15.	021824	Mr. Manoharan P., ACA Manager (Finance) Salem Steel Plant Salem-636013	30.	027937	Mr. Ganapathi Krishnan S., ACA Flat No. 12 Indian Bank House, Dr. R.P. Road, Mulund (West), Mumbai-400080
16.	021878	Mr. Sasikumar C.P., FCA T.C. 24/274 Sasthan Kovil Street, Thycaud, Thiruvananthapuram-695014	31.	028199	Mr. Ramalinga Kumar D., FCA 13, Kuppusamy Pillai Street, Sivakasi-626123
17.	022085	Mr. Lalit Nayak, FCA 5-B 10 th Cross' Raj Mahal Vilas, Bangalore-560080	2.	028269	Mr Satheesan P., ACA Budget & Cost Accountant Computer Network Systems P.O. Box No. 461144 Abu Dhabi
18.	022343	Mr. Ramesh B, FCA Financial Controller, Plaza Ross, TRD LLC, Dubai, U.A.E.	33.	028449	Mr. Srinivas Rao K., FCA Flat No. 12, Sai Krupa Apartments, Red Hills, Lakdikapul, Hyderabad-500004
19.	023174	Mr. Sheshagiri K.V., FCA 735 Oppanakara Street, III Floor, Coimbatore-641001	34.	028598	Mr. Manogaran R., FCA 13, II Floor Mallesh Complex Gandhi Bazar, Basavangudi, Bangalore-560004
20.	823700	Mr. Ganesh N., FCA Flat No. 2, II Floor Embassy Towers, 50 Montieth Road, Egmore, Chennai-600008	35.	028802	Mr. Arun Kumar G.V.R., FCA Flat A 203 Hymavathi Apartments, Stret No. 8, Habsiguda, Hyderabad-500007

1	2	3	1	2	3
36.	028834	Mr. Satya Surya Srinivas V., FCA 33, Block 'A', Sanats Sikhara Apartments, Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082	49.	201743	Mr. Vishnu Vardhan Reddy K., FCA 3-4-897/A, F1 Sushma Apartments, Barkatpura, Hyderabad-500027
37.	029280	Mr. Vinod, ACA Flat No. 214, Ashraya Apartments, Mettuguda, Secunderabad-500017	50.	201863	Mr. Venkataswamy R.J., ACA 4-714-2, Upstairs of Indian Gas Agency, Opp. Town Police Station, Tadipatri-515411
38.	029491	Mr. Walvekar Gajanan Mahadevasa FCA 2nd Floor Gudi Complex, Dajiban, Peth, Dharwad Dist., Hubli-580028	51.	201885	Mr. Benjamin P.T., ACA Financial Controller, Ramada Hotel, P.O. Box No. 1768, Doha, Qatar,
39.	029825	Mr. Kanumuri Venkata Krishnam Raju, FCA 6-1-290, Padma Rao Nagar, Secunderabad-500025	52.	202531	Mr. John Peter A., ACA 29, G/2, New Carcana Street, Tiruvannamalai Dist. Tiruvannamalai-606602
40.	029855	Mr. Hari Hara Rao S., ACA Room No. 4, Eastern Lodge, 19, Kamaraj Road, Bangalore-560042	53.	202993	Mr. Ravi Kumar Chillara ACA 5-25-105 Third Line, Brodipet, Guntur-522002
41.	030027	Mr. Balaramdas Radhakrishnan, ACA Chief General Manager, Small Industries Development Bank of India, Temple Tower 5th Floor, 480, Anna Salai, Chennai-600035	54.	203351	Ms. Niraimathi K., ACA No. 26 Pari Poorna Vinayakar Koil, Street, Mylapor, Chennai-600004
42.	030050	Mr. Sujit Radhakrishna Govind Nayak, FCA 406, Mahendra Arcade, Karangalpadu, Mangalore-575003	55.	203503	Mr. Lakshminarayanan T.R., ACA No. 32 3rd Cross Street, Nagappa Block, Sritampuram, Bangalore-560021
43.	036561	Mr. Vimal Chand Jain, ACA Asstt. Manager The New India Assurance Co. Ltd., Regional Office 'V' Floor, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad-500003	56.	203671	Mr. Manohar V., ACA 42, Naidu Street, Kotturpuram, Chennai-600085
44.	052641	Ms. Sudha Ramaswamy, ACA Vice President, Bank of America, 748 Anna Salai, Chennai-600002	57.	203955	Mr. Prabhakar Veeravalli, ACA C/o. Pattabhi Ramayya K. Flat No. 102 B Siddhartha Vyshali Apts., 7-1396 B.K. Guda, Sanjivareddy Nagar, Hyderabad-500078
45.	200201	Mr. Madhu Sudhan P., FCA 18/1, II Floor, V. G. Gopal Building, Lalbagh Fort Road, Bangalore-560004	58.	204186	Mr. Hanumantha Rao K., ACA No. 230 2D Cross 3rd Block, 3rd Stage 8th Main, Basaveshwarnagar, Bangalore-560079
46.	200378	Mr. John Jirald Nixon Mendex, FCA 41/695 Chittoor Road, Kochi-682018	59.	204248	Mr. Gopalakrishnan E., ACA 122/2, NTR Street, Rangarajapuram, Kodambakkam, Chennai-600024
47.	200628	Mr. Mrityunjaya Anant Hegde, ACA No. 42 Station Road, Thane West, Mumbai-400601	60.	204282	Ms. Manjula G., ACA 2079-D, Hazelwood Court Urbana, IL-61801 U.S.A.
48.	201500	Mr. Srinivasan H., ACA Ashirwadh Apartments, 11/2 Lock Street, Kotturpuram, Chennai-600085	61.	204415	Ms. Jayasree. NV., ACA 308, Garden Apartments, Vittal Mallia Road, Bangalore-560001
			62.	204597	Mr. Belagur H.H., ACA Accounts Executive, Tradex-LLC, P.O. Box 8508 Dubai, U.A.E.

1	2	3	S. No.	MRN	Name & Address	Restored Dt.
1	2	3	1	2	3	4
63.	205045	Mr. Balajee R., ACA Accounts Officer, Hindustan Motors Limited, Wheel Loader Plant Sedarapet, Pondicherry-605111	1.	002510	Mr. Lakshminarayanan V., ACA 50 F Block I, Main Road, Annanagar East, Chennai-600102.	10-6-98
64.	205172	Mr. Naga Kishore G., ACA 6-3-347/13 Dwarakapuri Colony, Panfagutta, Hyderabad-500082	2.	007657	Mr. Kalyana Raman V., ACA No. 100/101-B1 Raghavan Colony First Cross, Ashok Nagar, Chennai-600083	15-7-98
65.	205181	Ms. Madhavi Latha R., ACA Apt. 206, 5228 North Sheridan Rd., Chicago IL 60640 U.S.A.	3.	007773	Mr. Mohan R. S., ACA 15, Chitrakulam North Street, Mylapore, Chennai-600004.	14-7-98
66.	205211	Mr. Phanindra Prakash Iiapakurty, ACA 16202 EL Camino Real Apt. No. 1726, Houston, Texas-77062	4.	010028	Mr. Nayar P. R., FCA Finance Manager, United Electrical Indus. Ltd., Pallimukku, Kollam-691010.	6-7-98
67.	205387	Mr. Sheik Abdul Fareed S., ACA Internal Auditor, Budget Rent 'A' Car, P.O. Box 18106, Jeddah-21415 Saudi Arabia	5.	011005	Mr. Rangarajan R., ACA 1009, T. V. S. Colony, Anna Nagar Western Extn. Chennai-600101.	3-8-98
68.	205878	Mr. Mohan Balakrishnan ACA 66, 1st Main Road, Lower Palace Orchards, Bangalore-560003	6.	013766	Mr. Soundararaghavan R., ACA Vice President (Finance) Zuari Industries Ltd., Zuari Nagar, Goa-103726.	9-4-98
69.	206090	Mr. Prasada Rao K.V.D., ACA 5-8-311 Chirag Ali Lane, Hyderabad-500001	7.	015063	Mr. Georgekutty Kuncheria ACA Vadakara House, Palarivattom, Kochi-682025.	12-6-98
70.	206148	Mr. Vasudeva Rao Kandimalla, ACA D.No. 6-10-7/1, 10/2, Arundelpet, Guntur-522002	8.	018822	Mr. Gopalakrishnan S., ACA 37, Hillsborough Road, Three Kings, Auckland 1004, New Zealand.	13-5-98
		ASHOK HALDIA, Secy	9.	019215	Mr. Haja Maideen K. A. K. A., ACA BLK 22 H 13-3009., Eunos Crescent, Singapore-1440	3-4-98
		(Chartered Accountants)	10.	019255	Mr. Thanigaraju S., ACA No. 6, 5th Cross Street, (Ground Floor) Brindavan, Pondicherry-605013.	17-7-98
		3SCA (5)/1/98-99—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA (4)/7/85-86 dated 30th September 1985, 3SCA (4)/13/85/86 dated 31st March 1986, 3SCA (4)/ 10/88-89 dated 27th January 1989, 3SCA (4)/8/90-91 dated 1st December 1990, 3SCA (4)/1991-92 dated 1st January 1992, 3SCA (4)/3/92-93 dated 27th November 1992, 3SCA (4)/3/ 93-94 dated 11th January 1994, 3SCA (4), 94-95A dated 22nd February 1995, 3WCA (4)/9/94-95 dated 30th January 1995, 3SCA (4)/4/95-96 dated 12th March 1996, 3SCA (4)/3/96-97 dated 11th December 1996, 3SCA (4), 5/96-97 dated 7th April 1997, 3SCA (4)/3/97-98 dated 31st March 1998 and 3ECA (4)/3/97-98 dated 31st March 1998, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regu- lations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons:—	11.	019437	Mr. Sankaranarayanan S., ACA Flat No. 7, Majestic Gardens No. 48, Arcot Road, Saligraman Chennai-600093.	5-5-98
			12.	019490	Mr. Panneer Selvam C., ACA Manager-Finance, Indian Oil Corporation Ltd., Panampilli Nagar Post, Kerala State Office, Kochi-682036.	30-4-98

1	2	3	4	1	2	3	4
13.	019884	Mr. Sundara Raman R., FCA, 15/1, Subbaian Reddy Road, Ulsoor, Bangalore-560008.	18-3-98	25.	022215	Mr. Sriram S., ACA, Block 424, No. 6-2430 Avenue 3, Ang Mo Kio, Singapore-560424.	28-5-98
14.	020176	Mr. Harisha Bhat A., ACA, 28, 4th Main, Shankar Nagar, Mahalaxmi Layout, Bangalore-560096.	20-4-98	26.	022265	Mr. Venkateshwarlu K., FCA, C-G2, Matrusee Apartments, 3-5-873, Hyderguda, Hyderabad-500029.	9-6-98
15.	020178	Mr. Ramakrishnan V., ACA, Indian Oil Corporation Ltd., 139, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai-600034.	28-5-98	27.	022562	Mr. Ramesh Ranganathan, ACA, 203, Arunodaya Apartments, Behind : Minerva Office Coffée Shop, Himayatnagar, Hyderabad-500029.	52-7-98
16.	020381	Mr. Varadarajan S., FCA, TC 15/1847, Forest Office Lane, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram-693014.	22-6-98	28.	0023251	Mr. Ravichandran R., FCA, C/o. Mr. C. K. Hariharan, No. 4, Deenadayalu Street, T. Nagar, Chennai-600017.	30-7-98
17.	020431	Mr. Arumugam C., FCA, 5/999 Maraimalai Adigal Street, Sadasiva Nagar, Madurai-625020.	15-5-98	29.	023414	Mr. Dandakuri Sarasaram, FCA, H. No. 6-3-1186/A/6, (New No. (325) II Floor, Chinna Balareddy Building, Adjacent Lane to Grand Kak tiya Hotel, Hyderabad-500016.	12-5-98
18.	020941	Mr. Ramani S., ACA, Finance & Admn. Manager, Fidelity Shield Insurance Co. Ltd., P. O. Box 47435, Nairobi Kenya	16-4-98	30.	024052	Mr. Abdulla Mohideen M., ACA, 10870, North Stelling Road, Apt 20E, Cupertino California 95014, U S A.	20-8-98
19.	021072	Mr. Ashok H., FCA, Section Head Qatar Airways, P. O. Box 22550 Doha Qatar.	3-8-98	31.	024113	Mr. Ganapati Roa P., FCA, No. 87, Nagarjuna; Road No. 3, Gaganmahal Colony, Hyderabad-500029.	15-4-98
20.	021256	Mr. Mahesh Iyer N., ACA, Information Technology Manager, Damac Investment Co. LLC P. O. Box 2195, Dubai U. A. E.	20-4-98	32.	024190	Mr. Prakash K. S. FCA, Sree valsam Indiranagar, Kaloor, Kochi-682017.	24-6-98
21.	021306	Mr. George Prem Tharyan, ACA, 8, Anand Apartments, Plot No. 24-25, Aziz Nagar, II Street, Kodambakkam, Chennai-600024.	15-6-98	33.	024450	Mr. Nagarajan V., FCA, Flat No. 6 I Floor, 2-A, Devarajan Street, West Tambaram, Chennai-600045.	10-6-98
22.	021501	Mr. Kasinadhuni Venkateswara Rao, FCA, 3-6-459/A, 5th Sreet, Himayat Nagar, Hyderabad-500029.	27-8-97	34.	024528	Mr. Saju Peter, FCA, Senior Application Consultant, Energy Consulting, Oracle Systems Ltd., Post Box 30339, U.A.E.	30-6-98
23.	021866	Mr. Rajana Krishna Rao, ACA, H. No. 2-219, Prarap Nagar, Kakinada-533004.	22-6-98	35.	024655	Mr. Madu Krishna Reddy, FCA, Flat No. D-12, Steel & Mines Complex, Srinagar Colony, Hyderabad-500073	1-7-98
24.	021907	Mr. Srinivasan S., ACA, D No. 4, Flat No. 6, Arihant Apts, Subramanian Street, Off. : Arya Gowda Road, West Mambalam, Chennai-600033.	11-6-98	36.	025248	Mr. Musti Someswara Rao, ACA, Financial Controllex, Trans Continental Tobacco India Pvt. Ltd.	4-6-98

1	2	3	4	1	2	3	4
		4-4-141/A1, 7/2 Chandramouli Nagar Guntur-522007.		49.	026470	Mr. Krishna Manikyam B, ACA, Dy. Manager-Finance, Indian Oil Corporation Ltd., 139, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai-600034.	20-5-98
37.	025536	Mr. Rajendiran R. FCA, Blk, 361, Bukit Batok St. 31 H 08-451, Singapore-650361	30-7-98	50.	026633	Mr. Ananthachariar P. B., FCA, No. 13 Sannidhi Street, Kancheepuram-631503.	24-6-98
38.	025610	Mr. Gollapudi Viswesswara Rao, FCA., Ambal Building II Floor, 727 Mount Road, Chennai-600006.	25-5-98	51.	026639	Mr. Narayanlal Vyas S. FCA, 24-100 Indira Nagar Colony, Lothkunta, Secunderabad-500015.	8-5-98
39.	025674	Mr. Jose Aloysius Mathiew, ACA, 35/2805 Kathrikadavu Road, Palarivattom P. O. Kochi-682025	24-4-98	52.	026725	Mr. Rengesh K. ACA, B-16 R.E. Clasic Apartments, Baroda Street, West Mambalam, Chennai-600033.	20-4-98
40.	025704	Mr. Ganesh M. S., FCA, 3B, First Floor, 16 Malavia Avenue Thiruvanniyur, Chennai-600041.	17-7-98	53.	026985	Mr. Brahmanna P., ACA, 301, Sai Kiran Apartments, 3-6-375, Himayat Nagar, Hyderabad-500029.	29-6-98
41.	025775	Mr. Giridharan G., ACA, No. 17, Sarma Street, Ganapathipuram, Tambaram, Chennai-600059.	14-5-98	54.	027134	Mr. Srikanth P.S., ACA, Financial Analyst, M. B. Petroleum Services LLC., P. O. Box-695, P. C.-114 Wattayah. 0 Sultanate of Oman.	4-5-98
42.	025865	Mr. Satyanarayana Murthy R., A.C.A., Manager (Finance), Midhani, Kanchan Bagh Hyderabad-500058.	13-4-98	55.	027665	Mr. Vishwanath Krishnan N. A., F.C.A., 7, Krishnaswamy Street, Abhiramapuram, Chennai-600018.	27-7-98
43.	025902	Mr. Gopinatha Reddy. Y., FCA, 13-88-1, S. S. Complex, D. C. M. S. Road, Kamalanagar, Anantapur -515001.	29-7-98	56.	028114	Mr. Srikanth N., ACA, 5/1, Damdarapuram, IIrd Street Adyar, Chennai-600020.	27-7-98
44.	025915	Mr. Atul Sood, ACA., EB-184, Maya Enclave New Delhi-110064.	09-6-98	57.	028161	Mr. Mathew Varghese ACA, Managing Director, O/E/N Micro Systems Ltd., Kannankulangara, Tripunithura-682301.	2-7-98
45.	025944	Mr. Bala krishna Sha baraya K., F.C.A., 87 Sri Nanjundeshwara Buildings, II Floor, 11th Cross, Malleswaram, Bangalore-560003	8-12-97	58.	028600	Mr. Chandrasekaran K., ACA, 25 Vaidyaraman Street, T. Nagar, Chennai-600017.	19-5-98
46.	025961	Mr. Ravindran P. FCA, System Co-Ordinator, Jaher Group of Companies P. B. 1178, Jeddah-21431 Saudi Arabia	4-8-98	59.	028637	Mr. Selvam K., FCA, 6/11 Lal Bahadur Sastri Street, Natarasan Kuttai-630556.	3-4-98
47.	026289	Mr. Badrinarayana murthy H. V., A.C.A., 10-212, Vasanthapuri, Malkajgiri, Hyderabad-500047.	16-6-98	60.	028704	Mr. Sridharan V. G. ACA, Assistant, Professor, Indian Institute of Management, Bangalore, Bannerghatta Road, Bangalore-560076.	3-6-98
48.	026292	Mr. Narasimhamurthy, A., ACA, 1-10-243 Ashok Nagar, Hyderabad-500020	17-6-98	61.	028771	Mr. Viswanath Umashanker Trivedi. AC.A, MGD 324 McMaster University 1280 Main St., W, Hamilton, Ontario L8S4M4 Canada.	2-7-98

1	2	3	4
62.	028798	Mr. Parthasarathy R., ACA, Manager Finance Leafin India Ltd., 7 17th Avenue, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031.	28-4-98
63.	029268	Mr. Suneel Kumar B., FCA, H. No. 8-3-903/6, Nagarjuna Nagar, Ameerpet, Hyderabad-500073.	18-5-98
64.	029341	Mr. Jamal Mydeen M.A., ACA, Budget Accountant, Makshafe Services Ltd., P. O. Box 69428 Riyadh-11547, Saudi Arabia.	6-4-98
65.	029406	Mr. Srinagesh Ramabhotla, ACA, Plot No. 1, K. K. Towers, Ground Floor, Yousuf Guda, Hyderabad-500045	22-4-98
66.	029707	Mr. Venkata Kesari K., ACA, G1, Shanthi Nilayam Apts. Lane, Opp. Swaraj Hotel, 1-1-192/2, Chikkadpally, Hyderabad-500020	27-5-98
67.	029776	Mr. Giridhar Mamidi, ACA., H. No. 4-1-81/3., Ramaneoyam, Bhavani Nagar, Nacharam, Hyderabad-501507.	12-5-98
68.	038851	Mr. Shankar Kuppaswamy, ACA, Manager-F&A and Company Secretary, Wipro Acer Ltd., No. 88 M. G. Road, Bangalore-560094.	29-6-98
69.	039185	Mr. Narendra Sarvottam Telang ACA Director-Finance GTS India Inc, India Liaison Office 1/24 Hanumanthappa Layout Ulsoor Bangalore-560042	11-6-98
70.	048815	Mr. Jayprakash M D, ACA Modiyil Pathanamthitta District Thumpamon 689502	04-08-98
71.	056057	Mr. Indrajit Basu, ACA Finance Manager Sri Bajrang Jute Mills Ltd J T Road Eluru 534002	03-08-98
72.	080143	Mr. Raghunathan K, ACA Flat No 107 Sriram Apartments 3-4-531 Narayanaguda Hyderabad 500027	24-11-97
73.	089148	Mr. Rama Krishna B., ACA H No 8, Second Floor Sharada Complex Kalyan Nagar Cross Roads Kalyan Nagar Hyderabad 500038	15-07-98
74.	200340	Mr. Raman P.K., ACA Senior Auditor Standard Chartered Bank DBS Building, 7th Floor 108 Dr. Radhakrishnan Salai Chennai-600004	15-06-98
75.	200481	Mr. Srikanth S, ACA Managing Consultant Coopers & Lybrand Pvt Ltd 508, Bastion Centre 84 M G Road Bangalore-560001	20-07-98
76.	201264	Ms. Latha Raman, ACA 190 Long Meadow Drive Holbrook MA 02343 U.S.A.	22-04-98
77.	201391	Mr. Anil Ramachandran, FCA 13G, Alsa Windsor 4 Kothari Road Nungambakkam Chennai-600034	15-07-98
78.	201401	Mr. Mahadevan N, ACA Hyperion Software Asia Pto. Ltd. 80 Anson Road 24-01 IBM Towers Singapore-79907	03-04-98
79.	201628	Mr. Narsi Reddy P., ACA Accounts Officer Electronics Corpn. of India Ltd Ecil Post Hyderabad-500062.	29-06-98
80.	201913	Mr. Venkateshwar Reddy P., ACA H No 26/A Sanjeevreddy Nagar Hyderabad-500038	12-08-98
81.	202240	Mr. Vijaya Kumar A., ACA Financial Controller Polycor Ltd P O Box 34903 Lusaka-10101 Zambia	05-05-98
82.	202611	Mr. Anand K, ACA Nationwide Finance Ltd 1 C Chaitanya Centre 12 Khader Nawazkhan Road Chennai 600006	16-04-98
83.	202891	Mr. Venpateso K, ACA C/o KPMG Faturo PB 710 Manama Bahrain	04-08-98

1	2	3	4
84.	203104	Ms. Manjula Subramanian, ACA, 21-07-98 Manager, Finance & Administration, M/s Desmet Chemfood Engg. Pvt. Ltd, 14, Desmet House, Langford Road, Shanti Nagar Bangalore-560025.	
85.	203179	Mr. Anandakumar V, ACA., 02-07-98 M 17-D, Krupa Colony, 1st Avenue, 44th Street, Ashok Nagar, Chennai-560083.	
86.	203665	Ms. Kiran Damodar Ladha, ACA, 22-05-98 M/s Logix Microsystems Ltd., 493/3, Brahma lingeshwara Complex, Airport Road, Bangalore-560008.	
87.	203705	Mr. Satish No, ACA, 15-04-98 Accounts Officer M/s Jinda Traxtebal Power Co. Ltd., P. O. Box 9,, Bellary District Toranagallu-583123.	
88.	203837	Mr. Naga Bhavannarayana Swamy 28-07-98 Ch, ACA, D. No. 8-3-677/24/3, Navodaya Colony, Hyderabad-500073	
89.	204211	Ms. Radha Mohan, ACA, 08-05-98 27/1/10-1, Krupa Complex, Safilguda, Neredmet, Secunderabad-500056.	
90.	204266	Mr. Nayudu Nageswara Rao, 18-06-98 ACA, D. No. 6-3-668/17, Flat No 102, Classic Enclave, Panjagutta, Hyderabad-500082.	
91.	204550	Mr. Srinadhudu M. ACA, 24-07-98 30-265, Sudhanagar Colony, Old Safilguda, V.V.H.S. Malkajgiri, Hyderabad-500056.	
92.	204684	Mrs. Kalpana Jayashankar, ACA, 23-06-98 1A Riviera, Plot No. 7, 4th Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanniyur Chennai-600041.	
93.	204731	Ms. Subbalakshmi V., ACA, 28-04-98 9, Mani Villa, 101, Vannier Street, Choolaimedu, Chennai -600094.	
94.	205285	Mr. Lalatendu Mishra, ACA, 07-04-98 107/H Acharya Vihar, Orissa, Bhubaneswar-751013.	

ASHOK HALDIA Secy),

Mumbai, the 28th January 1999

(Chartered Accountants)

No. 3WCA(4)/2/98-99—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members:—

S No.	MRN	Member name & Address	Removal Dt
1	2	3	
1.	000967	Mr. Jorapur Krishna Bhimarao K B Jorapur & Co Commissariat Bldg D N Road 3rd Floor, Mumbai-400001	16-5-97
2.	001153	Mr. Gidwani Nani Motumal Gidwani & Co 2A Pushpavihar Block-2, Colaba, Mumbai-400005	28-6-96
3.	001789	Mr. Phadke Ramchandra Shankar R S Phadle & Co V Floor Bombay Mutual Chambers 19/21 Ambala Doshi Marg, Hutatma Chowk, Mumbai-400023	24-5-98
4.	002037	Mr. Khandwala Vinod Mangaldas V M Khandwala & Co Shorab Bldg 1st Floor, opp Edward Theatre, 505 Kalbadevi Road, Mumbai-400002	14-4-98
5.	002216	Mr. Titina Noshir Rustomji Ashoke Apts Flat No. 3 6th Floor Near Strand Cinema Off Arthur Bunder Rd. Colaba Mumbai-400005	15-5-98
6.	002501	Mr. Katpitia Erach Dhunrishaw E D Katpitia & Co. Union Co. operative Insurance Bldg. Room No. 6 1 Floor Sir P Mehta Rd. Mumbai-400001	17-8-98
7.	002546	Mr. Shah Krishnalal Ranchhodlal Vakil Sbah & Co., 25, Udaypark, Jetalpur Road, Vadodara-380005	20-2-98
8.	002621	Mr. Khandekar Sharadchandra Shankar S S Khandekar & Co. Monalisa Complex, Opp. Rajapeth Police St Bandera Road, Amravati- 4446401	12-2-98
9.	003284	Mr. Ghooi Wg. Cdr Sharad Moreshwar 19/165/2 Shrinivas Nagar, Pimpri, Pune-411018	2-8-97

1	2	3	4
10.	003382	Mr. Nerurkar Vijay Vasant 6th Floor, Universal Insurance Bldg. Pherozeshah Mehta Road, Mumbai-400001	30-1-98
11.	003402	Mr. Doshi Champaklal Dalichand Plot No 2141-D wachawadi Back Road, Bhavnagar-364002	21-7-96
12.	004713	Mr. wankawala Rajnikant Lallu- Bhai, Rajni LWankawala & Co., Ajanta Block 34, 3rd Floor Khar (West) Mumbai-400052	13-10-98
13.	011305	Mr. Shah Kiritbabu Ramanlal Kirit Shah & Co., 17th Gopal Vijay Co-op. IV Floor, MG Cross Rd. No 3, Kandiwali West, Mumbai-400067	28-7-98
14.	012369	Mr. Muzumdar Arun Vishwanath 50-51, Ali Chambers, Tamarind Lane Fort, Mumbai-400001	4-2-98
15.	012492	Mr. Shushil Mulkrav Agarwal Mitra Kunj opp. Jaslok Hospital 16, Pedder Road, Mumbai-400026	3-12-97
16.	012635	Mr. Ravasia Krishna Kumar Arjun 210, Prem Kutir Bombay-Poona Rd. Kalwa-iv Thane-400605	01-04-98
17.	016292	Mr. Patel Ashwin Harilal 51, Joothica, 22 Noshir Bharucha Rd. Mumbai-400007	25-11-97
18.	017961	Mr. Shah Chandrakant Kantilal Chag Pahwa & Shah, 164, Shivsha KTI Industrial Estate opp. MITT. All Estate Marol Naka Andheri/E Mumbai-400059	15-11-98
19.	038517	Mr. Balasubramanian 1/5 Chandralok Appartments Gokhale Nagar Road, Pune-411016	21-4-98
20.	048150	Mr. Shah Heta Navnitlal A/11, Nirav Flatss, Near Shantivan Bus Stop, Narayan Nagar Road, Paldi Ahmedabad-380007	09-4-98
21.	070429	Mr. Tanwani Kanhaiyalal, 305, Govinda Tower, Bandra (E), Mumbai-400051	5-8-98

1	2	3	4
22	101671	Mr. Gada Rakesh Khushalchand 2/54, Habib Mansion 828, B. J. Marg, Mumbai-400011	2-9-98

ASHOK HALDIA
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 18th May 1999

No. V-33(13)-14/94-E IV—In pursuance of Section-25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation-10 of ESI (General) Regulation: 1950 the Chairman, ESI Corporation hereby makes the following amendments in the notification of the ESI Corporation No. V-33(13)-14/94 Estt. IV dated 30-11-97, published in the Part-III Sec-IV of Gazette of India, dated 27-12-97.

In the said notification for the entries against S. No. 8, the following entries shall be substituted, namely:

Shri Brij Bihari Sharma, Secretary,
Employer Association of the Rajasthan,
599, Acharya Kripalani Marg,
Adarsh Nagar, Jaipur
(Employers' Addl. Representative)

D.C. GUPTA,
Director General

New Delhi, the 25th April 1999

No. U-16/53/1/97-Med-II (T.N.)—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1991 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year, or till full time Medical Referee Joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of certificates is in doubt.

S. No.	Name of Doctor	Period	Name of Centre
1.	Dr. C. Premavathy	1-4-99 to 31-3-2000	Vellore

Dr (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

प्रकाशक, भारत सरकार कृपाशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1999